



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1932 (श0)

(सं0 पटना 271)

पटना, शुक्रवार, 16 अप्रील 2010

विधि विभाग

अधिसूचना

16 अप्रील 2010

सं0 एल0जी01-18/2010/लेज: 126—बिहार विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 12 अप्रील, 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

[बिहार अधिनियम 12, 2010]

बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010

बिहार राज्य में कृषि एवं सहबद्ध विज्ञानों के विकास के लिए एक विश्वविद्यालय को स्थापित करने और निगमित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो, सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ।—जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों और विनियमों में:-

(1) "विद्वत (अकादमिक) परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विद्वत परिषद्

- (2) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010
- (3) "कृषि" के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं:
- (क) प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन;
- (ख) उत्पादन और संरक्षण सहित फसल संवर्धन;
- (ग) उद्यान कृषि;
- (घ) पशु चिकित्सा, प्राणी विज्ञान और मात्स्यिकी;
- (ङ.) डेयरी (दुग्धशाला) विज्ञान और प्रौद्योगिकी;
- (च) वानिकी;
- (छ) कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी;
- (ज) खाद्य प्रौद्योगिकी;
- (झ) गृह विज्ञान;
- (ञ) कृषि व्यापार प्रबंधन;
- (ट) कृषि जैव प्रौद्योगिकी;
- (ठ) मौलिक विज्ञान और कृषि से संबंधित मानविकी; एवं
- (ड) कृषि और सहबद्ध विज्ञान से संबंधित कोई अन्य विषय, जो ग्रामीण समुदायों के सामाजिक, एवं आर्थिक उत्थान और प्रबंधन हेतु प्रयुक्त हो।
- (4) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकार;
- (5) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड;
- (6) "अध्ययन समिति" से अभिप्रेत है, संकाय स्तर पर शैक्षिक मामले की समिति;
- (7) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का अंगीभूत महाविद्यालय ;
- (8) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
- (9) "नियंत्रक" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का नियंत्रक;
- (10) "संकायाध्यक्ष(डीन)" से अभिप्रेत है, अंगीभूत महाविद्यालय का प्रधान;
- (11) "संकाय-अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, संकाय का प्रधान;
- (12) "विभाग" से अभिप्रेत है, संकाय का विभाग;
- (13) "निदेशक" से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है निदेशक, रेजिडेंट शिक्षण, निदेशक, शोध और निदेशक विस्तार शिक्षा;
- (14) "संकाय" से अभिप्रेत है, अधिनियम और परिनियमों में यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का संकाय ;
- (15) "सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
- (16) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार राज्य का राज्यपाल;
- (17) "प्रधान" से अभिप्रेत है, महाविद्यालय/विभाग का प्रधान;
- (18) "के0वी0के0" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन कृषि विज्ञान केन्द्र;
- (19) "पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम/परिनियम में यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का पदाधिकारी;
- (20) "विहित" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियम/विनियम में वर्णित उपबंध;
- (21) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार;
- (22) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत है, संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 111 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियाँ ;
- (23) "अनुसूचित जनजातियों" से अभिप्रेत है, संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 111 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियाँ ;
- (24) "परिनियम विनियम और नियमावली" से कमशः अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का तत्समय प्रवृत्त परिनियम, विनियम और नियमावली;
- (25) "छात्र" से अभिप्रेत है, डिग्री, डिप्लोमा अथवा सम्यक् रूप से संस्थित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय/संकाय में दाखिल तथा नामांकित व्यक्ति;
- (26) "शिक्षक" से अभिप्रेत है शिक्षा प्रदान करने अथवा शोध अथवा विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने और मार्गदर्शित करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त सहायक प्राध्यापक से अन्यून पंक्ति का व्यक्ति और इसमें ऐसा कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो सकेगा जिसे न्यूनतम विहित अर्हता के साथ परिनियम द्वारा शिक्षक होने के लिए घोषित किया जाय ;
- (27) "इकाई" से अभिप्रेत और इसमें शामिल है विश्वविद्यालय की सेवा इकाईयाँ ;
- (28) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है बिहार कृषि विश्वविद्यालय ;

(29) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति।

अध्याय II

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन।—(1) इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से निम्नलिखित विश्वविद्यालय की स्थापना की जायगी :

(i) बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय भागलपुर जिला के सबौर में होगा और इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

(ii) सभी महाविद्यालय, शोध और प्रायोगिक केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा अनुसूची I में उल्लिखित अन्य संस्थाएँ, इसके पदाधिकारियों और प्राधिकारों के पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन, इसकी अंगीभूत इकाईयाँ होगी और ऐसे किसी इकाई को सम्बद्ध इकाई के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। राज्य सरकार को अनुसूची I में किसी संस्था को जोड़ने अथवा किसी संस्था को उसमें से हटाने की शक्ति होगी।

(2) विश्वविद्यालय कुलाधिपति, कुलपति, प्रबंधन बोर्ड, विद्वत परिषद् और इस अधिनियम में दिए गए अथवा परिणियमों में यथाउपबंधित अन्य प्राधिकारों और पदाधिकारियों तथा संघटक निकायों से मिलकर बनेगा।

(3) विश्वविद्यालय शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य सील रखनेवाला एक निगमित निकाय होगा और यह उक्त नाम से वाद चलाएगा और इस पर वाद चलाया जाएगा।

(4) विश्वविद्यालय चल और अचल दोनों संपत्ति अर्जित करने तथा धारित करने, कोई चल और अचल संपत्ति, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ उसमें निहित हो गई हो और उसके द्वारा अर्जित की जा चुकी हो, को पट्टा पर देने, बिक्री करने अथवा अन्यथा अंतरित करने और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी निगमित निकाय से धन उधार लेने और संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अन्य सभी आवश्यक कार्य करने के लिए सक्षम होगा;

परन्तु, विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना राज्य सरकार द्वारा उसे अंतरित की गई किसी अचल संपत्ति को न तो पट्टे पर देगा, बिक्री करेगा अथवा अन्यथा अंतरित करेगा।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा दायर अथवा उसके विरुद्ध दायर सभी वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार अथवा विधि पदाधिकारी अथवा कुलपति द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिवचन हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जाएगा और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में सभी आदेशिका रजिस्ट्रार/विधि पदाधिकारी को जारी की जाएगी और तामील कराई जाएगी।

4. क्षेत्रीय अधिकारिता और अंगीभूत निकाय।—(1) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण, कृषि के क्षेत्र में और इस अधिनियम में मोटे तौर पर परिभाषित इससे संबंधित क्षेत्रों में शोध तथा विस्तार शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता और जिम्मेदारी धारा 3(1) (i) और (ii) में यथाउल्लिखित क्षेत्रों तक विस्तारित होगी।

(2) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार और प्राधिकार के अधीन आनेवाले सभी महाविद्यालय, शोध केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र और अन्य संस्थाएँ विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों और प्राधिकारों के पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाईयाँ के रूप में होगी। किसी इकाई को सम्बद्ध इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

(3) विश्वविद्यालय अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत अपने अंगीभूत निकायों की यथापेक्षित स्थापना, विकास और संचालन की जिम्मेदारी ले सकेगा।

(4) राज्य में कृषि और सहबद्ध विषयों में अनुदेश, शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने के लिए विश्वविद्यालय को अपने सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में प्राधिकार होगा।

(5) राज्य में पूर्व से विद्यमान अथवा भारत सरकार या बिहार सरकार के किसी अधिनियम से स्थापित कृषि विश्वविद्यालय जिनसे यह अधिनियम संबंधित हो, से भिन्न कोई विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विषय को छोड़कर कृषि का कोई डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं होगा।

(6) विश्वविद्यालय, साझा हितों के विषयों में अन्य विश्वविद्यालय, जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित हो अथवा अन्यथा के साथ अथवा अन्य संस्थान के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना चला सकेगा।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य।—विश्वविद्यालय निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए स्थापित और निगमित किया जायेगा:

(1) कृषि की विभिन्न शाखाओं तथा ज्ञान की अन्य सहबद्ध शाखाओं तथा छात्रवृत्ति, जिसे विश्वविद्यालय शामिल करना आवश्यक समझे, में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना,

(2) इसके अतिरिक्त कृषि में ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा शोध का संचालन,

(3) राज्य की जनता के कल्याणार्थ विस्तार शिक्षा विषयक कार्य करना।

(4) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के साथ भागीदारी तथा संयोजन को बढ़ावा देना,

(5) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

6. विश्वविद्यालय में प्रवेश (नामांकन)।—(1) विश्वविद्यालय इस अधिनियम और परिणियमों के उपबंधों के अधीन सभी लोगों के लिए खुला रहेगा,

परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश करने दे जो प्रवेश के लिए विहित शैक्षिक योग्यता/स्तर नहीं रखता हो अथवा वैसे व्यक्तियों को विश्वविद्यालयों में बनाए रखे जिनका शैक्षिक वृत्त, डिग्री हासिल करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्तर से कम है और जिनका व्यक्तिगत आचरण विश्वविद्यालय के प्रयोजन अथवा अन्य विद्यार्थियों और कर्मचारीवृन्द के उपयुक्त अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए हानिकर हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्वधीन, विश्वविद्यालय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित करेगा;

परन्तु, ऐसा कोई व्यक्ति तब तक विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे उम्मीदवारों की बाबत विहित मानक को पूरा न करता हो।

(3) विश्वविद्यालय किसी पाठ्यक्रम में उतनी संख्या में छात्रों का प्रवेश ले सकेगा जिन्हें विश्वविद्यालय के उपलब्ध संकायों अथवा किसी खास महाविद्यालय अथवा विभाग में विद्वत परिषद् द्वारा यथाअवधारित संख्या तक समायोजित किया जा सके।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे:—

(1) कृषि तथा अन्य सहबद्ध विषयों, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा का उपबंध करना,

(2) कृषि और इसकी सहबद्ध शाखाओं में शोध करने का उपबंध करना,

(3) विस्तार शिक्षा कार्यक्रम द्वारा शोध के निष्कर्षों तथा तकनीकी जानकारी के प्रचार हेतु उपबंध करना,

(4) डिग्री, डिप्लोमा तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को संस्थापित करना,

(5) पाठ्यक्रम तैयार करना तथा परीक्षा का आयोजन करना और उन व्यक्तियों को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना जिन्होंने—

(i) यथाविहित पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया हो, और

(ii) विश्वविद्यालय अथवा इस निमित्त विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में ऐसा शोध किया हो, जैसा कि विहित किया जाए,

(6) यथाविहित मानद डिग्री तथा अन्य उपाधियाँ प्रदान करना,

(7) क्षेत्रीय कर्मियों, किसानों, अन्य व्यक्तियों, जो नियमित छात्र के रूप में नामांकित नहीं हैं, के लिए व्याख्यानों तथा शिक्षण का उपबंध करना तथा उन्हें प्रमाण पत्र देना जैसा कि विहित किया जाय,

(8) अन्य विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित निजी और सार्वजनिक संगठनों/संस्थानों के साथ शैक्षिक, शोध एवं एवं विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों में सहयोग करना,

(9) वैसी चल और अचल, दोनों संपत्तियों को अर्जित करना, धारण करना तथा बनाए रखना जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ उसमें निहित हो गई हो या उसके द्वारा अर्जित की गई हो,

(10) कृषि और सहबद्ध विज्ञानों से संबंधित महाविद्यालयों/संकायों, अनुसंधान केन्द्रों/प्रयोगशालाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा उनकी इकाइयों को स्थापित करना तथा उनका अनुरक्षण करना,

(11) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शिक्षण, शोध एवं विस्तार शिक्षा के पदों का सृजन करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना,

(12) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रशासनिक और अन्य पदों का सृजन करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना,

(13) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पुरस्कार को स्थापित करना और प्रदान करना,

(14) यथाविहित फीस और अन्य चार्ज नियत करना, उसकी माँग करना और उसे प्राप्त करना,

(15) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के लिए यथाउपयुक्त आवासन की व्यवस्था करना तथा उसका रखरखाव करना,

(16) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास, आचरण एवं अनुशासन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण की अभिवृद्धि की व्यवस्था करना।

(17) शिक्षकों की अर्हताएं अवधारित करना और कृषि एवं सहबद्ध विषयों में शिक्षा देने तथा शोध और विस्तार शिक्षा का कार्य करने के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की पहचान करना,

(18) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथापेक्षित सभी कार्य एवं बातों को करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो अथवा न हों।

अध्याय—III

विश्वविद्यालय के प्राधिकार

8. विश्वविद्यालय के प्राधिकार।—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा—

- (1) प्रबंधन बोर्ड;
- (2) सीनेट;
- (3) विद्वत (अकादमिक) परिषद्;
- (4) संकाय और उनके अध्ययन बोर्ड;
- (5) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकार घोषित किया जाए।

9. प्रबंधन बोर्ड और इसका गठन।—(1) प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

- (i) कुलपति — अध्यक्ष;
- (ii) कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार;
- (iii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग;
- (iv) प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग;
- (v) निदेशक, कृषि;
- (vi) निदेशक, उद्यान;
- (vii) कृषि एवं सहबद्ध विज्ञान के क्षेत्र से एक प्रख्यात शिक्षाविद (जो प्रोफेसर से अन्यून कोटि के) जिनका नामनिर्देशन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा;
- (viii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य विधान मंडल के दो प्रतिनिधि;
- (ix) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली एक उत्कृष्ट महिला कार्यकर्ता जिनकी ग्रामीण समुन्नति की पृष्ठभूमि हो;
- (x) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से एक प्रगतिशील किसान;
- (xi) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशिष्ट कृषि उद्योगपति;
- (xii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) से एक प्रतिनिधि, जिनका नाम निर्देशन आई.सी.ए.आर. के महानिदेशक द्वारा किया जाएगा;
- (xiii) परिनियम में यथाविहित चक्रानुक्रम से एक निदेशक जिनका नामनिर्देशन कुलपति द्वारा किया जाएगा;
- (xiv) परिनियम में यथाविहित चक्रानुक्रम से एक डीन, जिनका नामनिर्देशन कुलपति द्वारा किया जाएगा;
- (xv) परिनियम में यथाविहित चक्रानुक्रम से एक स्नातकोत्तर विभाग का एक अध्यक्ष, जिनका नाम निर्देशन कुलपति द्वारा किया जाएगा;
- (xvi) रजिस्ट्रार — सचिव;

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न, बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्षों की होगी।

(3) जब मृत्यु, त्यागपत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से किसी सदस्य का पद रिक्त होता हो तब उस रिक्ति की पूर्ति इस धारा के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और ऐसी रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति इस अवधि तक पद धारण करेगा जिस अवधि तक वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान पर उसने पद की पूर्ति की हो।

(4) बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी दोष मात्र के आधार पर बोर्ड की कोई कार्रवाई या कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

(5) बोर्ड की बैठक में बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।

परन्तु, यदि गणपूर्ति के अभाव में बोर्ड की कोई बैठक स्थागत की जाती हो तो उसी कार्य के लिए बुलाई गई बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(6) सामान्यतः बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार, कुलपति द्वारा नियत तारीखों पर होगी। किन्तु, कुलपति जबकभी उचित समझे तथा बोर्ड पांच से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता पर बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकेंगे।

10. प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।—प्रबंधन बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का संपादन करेगा, यथा:—

- (i) इस अधिनियम के अधीन विहित रीति से परिनियम/विनियमों को बनाना, संशोधित करना और निरस्त करना;
- (ii) विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय अपेक्षाओं और प्राक्कलनों की समीक्षा तथा विचार करना तथा इसके बजट का अनुमोदन करना;

- (iii) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा को अनुमोदित करना;
- (iv) विश्वविद्यालय की ओर से किसी सम्पत्ति को स्वीकार या अन्तरण करना;
- (v) आशयित प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के व्ययन पर दी गयी निधि को प्रशासित करना;
- (vi) विश्वविद्यालय की निधियों के निवेश और निकासी की व्यवस्था करना;
- (vii) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत और दान स्वीकार करना;
- (viii) जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अकादमिक परिषद् की अनुशंसाओं पर विचार करना तथा उनका अनुमोदन करना;
- (ix) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर (कॉमन सील) के स्वरूप एवं उपयोग का निर्देश देना;
- (x) ऐसी समितियों और निकायों का गठन करना, जो यह आवश्यक समझे, तथा इस अधिनियम और परिनियम के उपबंधों के अनुसार उनके लिए विचारणीय विषयों को निर्धारित करना;
- (xi) विद्वत (अकादमिक) परिषद् की अनुशंसा पर महाविद्यालयों, विभाग, केन्द्र या शोध केन्द्र/उपकेन्द्र की स्थापना, आमेलन और समाप्ति पर विचार करना तथा अनुमोदन करना। नए महाविद्यालय/संकाय की स्थापना राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बाद ही की जाएगी;
- (xii) राज्य के पूर्वानुमोदन से शिक्षण, शोध और विस्तार शिक्षा के पदों का सृजन करना।
- 11. सीनेट**—(1) सीनेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा पदेन सदस्य
- (i) कुलाधिपति – अध्यक्ष;
- (ii) कुलपति : कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सीनेट की अध्यक्षता कुलपति करेंगे;
- (iii) कृषि उत्पादन आयुक्त या उनकी अनुपस्थिति में कृषि सचिव;
- (iv) प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार;
- (v) विशेष या अपर या संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना;
- (vi) विशेष या अपर या संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
- (vii) मुख्य वन संरक्षक, बिहार;
- (viii) कृषि निदेशक, बिहार, पटना;
- (ix) निदेशक, पशुपालन, बिहार;
- (x) निदेशक, मत्स्य, बिहार;
- (xi) संयुक्त निदेशक, कृषि, शिक्षा, बिहार, पटना;
- (xii) निदेशक, शोध, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ;
- (xiii) निदेशक, विश्वविद्यालय की विस्तार शिक्षा;
- (xiv) संकायों के सभी डीन;
- (xv) अंगीभूत महाविद्यालय के सभी प्राचार्य और शोध संस्थानों के सभी निदेशक;
- प्रतिनिधि – सदस्य—
- (xvi) अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा यथाविहित रीति से बिहार विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से चयनित किए जाने वाले सात व्यक्ति;
- (xvii) सभापति, विधान परिषद् द्वारा यथाविहित रीति से बिहार विधान परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से चयनित दो व्यक्ति;
- (xviii) प्राचार्यो तथा संकायों के डीन से भिन्न सात शिक्षक, जिन्हें कम-से-कम पाँच वर्षों का अनुभव हो, जिनका नाम निर्देशन परिनियमों द्वारा विहित रीति से किया जाएगा ताकि विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व हो;
- (xix) दो व्यक्ति, जिनमें से एक का नाम निर्देशन बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम और दूसरे का काम्फेड (सी.ओ.एम.एफ.ई.डी.) द्वारा किया जाएगा;
- (xx) (शिक्षक से भिन्न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि, जिनका चयन विहित रीति से किया जाएगा;
- (xxi) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो किसान;
- (xxii) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक;
- (xxiii) परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मेधावी छात्र।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि, यथास्थिति, उनके अपने-अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन की तारीख से दो वर्षों के लिए होगी और इसमें आगे कि ऐसी कोई अवधि सम्मिलित होगी जो यथास्थिति उक्त दो वर्षों के अवधि-अवसान तथा अगले उत्तरवर्ती निर्वाचन या नामनिर्देशन, जो किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन या नामनिर्देशन न हो, के बीच बीत जाएगी;

परन्तु, किसी निकाय के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा उस तारीख के प्रभाव से पद को छोड़ देना माना जाएगा जिस तारीख को वह उस निकाय का सदस्य नहीं रह जाएगा जिसने उसका निर्वाचन या नामनिर्देशन किया हो।

(3) सीनेट की बैठक कुलपति द्वारा नियत तारीखों को वर्ष में दो बार होगी और इन बैठकों को सीनेट की साधारण बैठक कहा जाएगा, जिसमें से एक को परिनियम द्वारा सीनेट की वार्षिक सभा घोषित किया जाएगा।

(4) कुलपति जब कभी उचित समझे तथा सीनेट के कुल सदस्यों में से कम-से-कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता पर सीनेट की विशेष बैठक बुला सकेगा।

12. सीनेट की शक्तियाँ और कर्तव्य।— इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन, सीनेट की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे :-

- (i) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय की उन्नति एवं विकास के लिए उपायों की सलाह देना,
- (ii) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, वित्तीय प्राक्कलनों तथा ऐसी लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर विचार करना और प्रस्ताव पारित करना,
- (iii) ऐसे किसी विषय पर कुलाधिपति को सलाह देना जो इसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किया जाए।

13. विद्वत् परिषद् (अकादमिक परिषद्)।—(1) विद्वत् परिषद् (अकादमिक परिषद्) में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (i) कुलपति— सभापति;
- (ii) निदेशक;
- (iii) सभी संकायाध्यक्ष / डीन;
- (iv) सभी अध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग;
- (v) हरेक संकाय से महाविद्यालय के दो विभागाध्यक्ष, जिनका नाम निर्देशन चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा किया जाएगा;
- (vi) हरेक संकाय से प्राध्यापक की पंक्ति का एक शिक्षक, जिनका नाम निर्देशन चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा किया जाएगा;
- (vii) एक प्रख्यात कृषि शिक्षाविद्, जो विश्वविद्यालय से बाहर का हो और जिनका नाम निर्देशन कुलपति द्वारा किया जाएगा;
- (viii) रजिस्ट्रार—सदस्य सचिव,
नियंत्रक और विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष गैर—सदस्य आमंत्रिती होंगे।

(2) विद्वत् परिषद् यथा विहित अवधि के लिए तथा यथाविहित रीति से दो से अनधिक व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा ताकि कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न सेक्टरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।

(3) पदेन सदस्यों तथा उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न विद्वत् परिषद् के सभी सदस्य दो वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(4) परिषद् की बैठक में गणपूर्ति एक तिहाई सदस्यों से होगी। परन्तु, यदि गणपूर्ति के अभाव में परिषद् की कोई बैठक स्थगित की जाती हो, तो उसी कार्य के सम्पादनार्थ आहूत अगली बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) सामान्यतः विद्वत् परिषद् की बैठक हरेक सेमेस्टर में एक बार कुलपति द्वारा यथा निर्धारित तिथि को होगी; किन्तु, कुलपति द्वारा विद्वत् परिषद् की विशेष बैठक बुलायी जा सकेगी।

14. विद्वत् परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य।— (1) इस अधिनियम एवं परिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन विद्वत् परिषद् को विनियमों द्वारा पाठ्यक्रम विहित करने और पाठ्यचर्या निर्धारित करने की शक्ति होगी, और विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्यापन एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों पर उसका नियंत्रण होगा और उसके मानदंडों की देखरेख हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) इसे अपने नियंत्रण के अध्यक्षीन, सभी शैक्षिक मामलों के संबंध में इस अधिनियम और परिनियमों से संगत विनियम बनाने, ऐसे विनियमों को संशोधित करने या निरस्त करने की शक्ति होगी।

(3) खासकर, पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विद्वत् परिषद् निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा :-

- (i) सभी शैक्षणिक मामलों में समिति और कुलपति को सलाह देना।
- (ii) अध्यापन शोध और विस्तार शिक्षा के संबंध में अनुशासा करना।

- (iii) प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और अन्य शिक्षकीय पदों, जिसमें शोध और विस्तार शिक्षा के पद भी सम्मिलित हैं, पर नियुक्ति एवं उनसे संबंधित कर्तव्यों की अनुशंसा करना।
- (iv) अनुबद्ध प्राध्यापकत्व हेतु अनुशंसा करना।
- (v) महाविद्यालय के संकाय, अध्यापन विभाग, शोध और विस्तार शिक्षा की स्थापना/ आमेलन/ समापन हेतु अनुशंसाएँ करना
- (vi) विश्वविद्यालय में छात्रों के नामांकन से संबंधित विनियम बनाना और नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या निर्धारित करना।
- (vii) उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदायक पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियम बनाना।
- (viii) परीक्षा के संचालन से संबंधित विनियम बनाना और शिक्षा के मानकों को बनाए रखना तथा उसमें सुधार लाना।
- (ix) समिति को मानद उपाधि प्रदान करने से संबंधित अनुशंसा करना।
- (x) विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए अर्हताएं विहित किए जाने से संबंधित अनुशंसा करना।
- (xi) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसे बोर्ड या कुलपति द्वारा प्रदान या अधिरोपित की जाए।

15. संकाय और अध्ययन बोर्ड।—(1) विश्वविद्यालय में यथाविहित संकाय होंगे।

(2) अध्ययन के लिए हरेक संकाय में परिनियमों द्वारा यथाविहित विभाग होगा।

(3) हरेक संकाय में परिनियमों द्वारा यथाविहित सदस्य होंगे तथा उसे यथाविहित शक्तियाँ होंगी और वह यथाविहित कर्तव्यों का संपादन करेगा।

(4) हरेक संकाय में अध्ययन बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- (i) संकाय के डीन/डीन — अध्यक्ष;
- (ii) संबद्ध महाविद्यालयों के संकाय के डीन;
- (iii) संबद्ध संकाय के सभी अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष;
- (iv) संकाय के डीन द्वारा नामनिर्दिष्ट हरेक विभाग से एक वरीय संकाय सदस्य;
- (v) वरीय विभागाध्यक्ष — सदस्य सचिव।

(5) हरेक संकाय के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

- (i) अध्यापन कार्यक्रम की पुनर्विलोकन करना और उसमें सुधार का सुझाव देना,
- (ii) विभाग/संकाय की पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या समिति या इसी तरह के निकाय की अनुशंसाओं पर विचार करना और उन्हें अनुमोदन के लिए विद्वत् (अकादमिक) परिषद् को प्रस्तुत करना,
- (iii) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जो उसे विद्वत् (अकादमिक) परिषद् या कुलपति द्वारा समनुदेशित किया जाए।

(6) विश्वविद्यालय के हरेक स्नातकोत्तर विभाग का एक अध्यक्ष होगा और महाविद्यालय के हरेक विभाग का एक प्रधान होगा जिसकी नियुक्ति, शक्तियों और कर्तव्यों को परिनियमों द्वारा विहित किया जाएगा।

16. प्राधिकारों की सदस्यता के संबंध में उपबंध।—(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने के कारण अथवा अन्यथा अपनी पूरी पदावधि पूरा करने में असमर्थ हो तो इस प्रकार हुई रिक्ति सुविधानुसार यथाशीघ्र, यथास्थिति, नियुक्ति, नाम निर्देशन या सह-योजन द्वारा भरी जाएगी, और इस प्रकार नियुक्ति, नाम निर्दिष्ट या सहयोजित व्यक्ति ऐसी रिक्ति की पूर्ति उस सदस्य की पदावधि के अपर्यवसित अवधि तक करेगा जिसके स्थान पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त, नाम निर्दिष्ट या सहयोजित किया जाता हो और वह अन्यथा पद पर बना रहता।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता से किसी व्यक्ति को बोर्ड कुलाधिपति के अनुमोदन से इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता के किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है अथवा संबद्ध सदस्य का आचरण उसके द्वारा धारित पद के अनुरूप नहीं है, किन्तु जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो वहाँ कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी,

परन्तु, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय का दूसरे निकाय चाहें वह विश्वविद्यालय का हो या न हो, के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य हो, यदि अपनी सदस्यता की पदावधि को समाप्ति के पूर्व उस अन्य

निकाय, जिसने उसे नियुक्त या नाम निर्दिष्ट किया हो, का सदस्य न रह जाता हो तो वह ऐसे प्राधिकार या निकाय का सदस्य नहीं रह जाएगा।

(4) जब कभी कोई व्यक्ति अपने द्वारा धारित पदाभिधान से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय का सदस्य हो जाता हो तब यदि वह अपनी सदस्यता अवधि के अवसान के पूर्व ऐसे पद पर बना नहीं रह जाता/जाती हो तो वह तुरत ऐसे प्राधिकार या निकाय का सदस्य नहीं रह जाएगा,

परन्तु वह मात्र इस कारण से अपना पद धारण करने से प्रवारित नहीं हो जाएगा/जाएगी कि वह चार माह से अनधिक अवधि के लिए छुट्टी पर जा रहा/रही है।

(5) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलपति को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा और ऐसा त्याग पत्र स्वीकार किए जाने पर, उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह प्रस्तुत किया गया हो।

17. अधिनियम की विधिमान्यता और संरक्षा।—(1) विश्वविद्यालय संघ और राज्य के अधिनियमों और विधियों का अनुपालन करेगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही

उसके सदस्यों में से किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की कार्यवाही में भाग लेने के कारण जिसके लिए बाद में पता चले कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था, अविधिमान्य नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय या इसके किसी प्राधिकार द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए सभी कार्य या किए गए आदेश अंतिम होंगे और इस अधिनियम या परिनियमों या विनियमों के अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय या इसके प्राधिकार के विरुद्ध कोई वाद नहीं चलाया जाएगा अथवा उससे किसी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी परिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई, किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

अध्याय—IV

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी

18. पदाधिकारी।—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, यथा :—

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) निदेशकगण;
- (iv) डीन;
- (v) रजिस्ट्रार;
- (vi) नियंत्रक;
- (vii) विश्वविद्यालय की सेवा के ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी घोषित किया जाए।

19. कुलाधिपति।—(1) बिहार राज्यपाल अपने पदाभिधान से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे तथा उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) सम्मान उपाधि प्रदान करने का हरेक प्रस्ताव कुलाधिपति की सम्पुष्टि के अधधीन होगा।

(4) कुलाधिपति;

- (i) विश्वविद्यालय के कार्यकलाप से संबंधित जानकारी के लिए कोई कागजात की मांग कर सकेंगे, और
- (ii) अभिलिखित कारणों से, धारा-42 के अधीन आनेवाले विषय को छोड़कर, किसी भी विषय को विश्वविद्यालय के ऐसे किसी पदाधिकारी या प्राधिकार को पुनर्विचार के लिए निर्देश कर सकेंगे जिसने ऐसे विषय पर पूर्व में विचार किया हो।

(5) कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार के ऐसे किसी आदेश या कार्यवाही को वातिल कर सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के अनुरूप न हो,

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व वे संबद्ध पदाधिकारी या प्राधिकार से कारण पृच्छा करेंगे कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत इसके संबंध में कोई कारण दर्शाया जाता हो तो वे उस पर विचार करेंगे।

(6) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इन्हे इस अधिनियम या परिनियम द्वारा प्रदत्त हो।

(7) कुलाधिपति ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, जिसे वे निदेशित करें, से विश्वविद्यालय, जिसमें इसका भवन प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संग्रहालय, कार्यशाला तथा उपकरण भी शामिल है और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या प्रशासित किसी संस्थान, महाविद्यालय या छात्रावास अथवा विश्वविद्यालय द्वारा इसके तत्वावधान में संचालित अध्यापन एवं अन्य कार्य तथा विश्वविद्यालय किसी अन्य कृत्यकारी का निरीक्षण करा सकेंगे और विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं वित्त से जुड़े किसी विषय की बावत कोई जांच करा सकेंगे।

(8) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षक या जांच पड़ताल के निष्कर्ष के साथ राज्य सरकार के विचार, विश्वविद्यालय को संप्रेषित करेंगे और उसपर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात की जानेवाली कार्रवाई तथा ऐसी कार्रवाई के लिए निर्धारित समय-सीमा के संबंध में विश्वविद्यालय को परामर्श देंगे।

20. कुलपति।—(1) कुलपति विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार सर्च कमिटी (Search Committee) की अनुशंसा के आधार पर ऐसा पैनल तैयार करेगी। सर्च कमिटी में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

- (i) महानिदेशक, आई० सी० ए० आर० का एक नाम निर्देशिती;
- (ii) राज्य सरकार का एक नाम निर्देशिती;
- (iii) कुलाधिपति का एक नाम निर्देशिती;

परन्तु, इन सदस्यों में से एक को राज्य सरकार द्वारा संयोजक के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा; सरकार और कुलाधिपति का नाम निर्देशिती कुलपति या समतुल्य पंक्ति का होगा। किन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति प्रख्यात कृषि वैज्ञानिकों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसने अकादमिक उत्कृष्टता हासिल की हो तथा शोध, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में नेतृत्व की गुणवत्ता प्रदर्शित की हो, कुलपति के पद के लिए अभ्यर्थिता का पात्र होगा।

(3) सर्च कमिटी की सूचना का व्यापक प्रचार किया जाएगा और वह सभी कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों में जाएगी। सर्च के पैनल का कमिटी चयन करेगी और तीन नामों के पैनल का सुझाव देगी।

(4) उपर्युक्त उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, द्वितीय और बाद के कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, उनके द्वारा यथा अवधारित निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी।

(5) कुलपति अपने पद पर आसीन होने की तारीख से पाँच वर्षों तक अथवा पैंसठ वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। प्रथम कुलपति की रिक्ति पांच वर्ष के पूर्व होने पर पांच वर्ष के अवशेष अवधि के लिए पुनः राज्य सरकार कुलपति नियुक्त कर सकेगी।

(6) कुलपति स्वलिखित त्याग पत्र कुलाधिपति को संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकेगा जो कुलाधिपति के सामान्यतः उस तारीख से 60 दिन पूर्व सौंपा जाएगा जिस तारीख को कुलपति अपने पद का त्याग करना चाहते हों, किन्तु कुलाधिपति उन्हें पहले भी पदमुक्त कर सकेंगे।

(7) कुलपति के पद की अस्थाई रिक्ति होने पर अथवा छुट्टी पर जाने अथवा किसी अन्य कारण से उनकी अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ निदेशक/संकाय के डीन, कुलाधिपति के अनुमोदन से, कुलपति के कर्त्तव्यों का संपादन कर सकेगा, किन्तु उनकी अवधि छह माह से अधिक की नहीं होगी।

(8) कदाचार या असमर्थता के आधार पर अथवा कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश अथवा यदि कुलाधिपति को प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध है तब कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा सम्यक् जाँच-पड़ताल कराने तथा उन्हें अपना अभ्यावेदन करने का अवसर दिए जाने के बाद कुलाधिपति के आदेश को छोड़कर कुलपति को इनके पद से हटाया नहीं जाएगा।

21. कुलपति की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य।—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी तथा बोर्ड, विद्वत् परिषद् एवं अन्य प्राधिकारों का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा तथा उन व्यक्तियों को उपाधियाँ प्रदान करेगा जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर समग्र नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का जिम्मेदार होगा।

(3) कुलपति प्रबंधन बोर्ड तथा विद्वत् परिषद् की बैठकें आहूत करेगा।

(4) कुलपति इस अधिनियम तथा परिनियमों और विनियमों के उपबंधों का विश्वसनीय अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा इसके लिए यथावश्यक शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(5) कुलपति प्रबंधन बोर्ड के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों तथा वार्षिक लेखा के प्रस्तुतीकरण का जिम्मेदार होगा।

(6) कुलपति किसी आकस्मिकता की स्थिति में ऐसी कोई कार्रवाई कर सकेगा जिसमें उसकी राय के अनुसार तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता हो। ऐसी स्थिति में तथा तत्पश्चात यथाशीघ्र अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट उन प्राधिकारों को देगा जो सामान्य तथा उस विषय पर कार्रवाई करते।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति के लिए अहितकर हो वहाँ ऐसा व्यक्ति, की गई कार्रवाई की नोटिस तामील किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर बोर्ड के पास अपील करेगा।

(8) यदि कुलपति का समाधान हो जाए कि बोर्ड का निर्णय विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में नहीं है तो वह उसे कुलाधिपति के प्रति निर्देश करेगा जिनका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(9) पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबंधों के अध्यक्षीन, कुलपति विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और बर्खास्तगी से संबंधित बोर्ड के निर्णयों को लागू करेगा।

(10) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के समुचित प्रशासन तथा अध्यापन शोध और विस्तार के सघन, समन्वय एवं एकीकरण का जिम्मेदार होगा।

(11) कुलपति, प्रबंधन बोर्ड को सूचना देकर, धारा- 18 के खंड (iii) से (vii) तक में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी के रिक्त पद पर छह माह से अनधिक अवधि के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति की अस्थाई नियुक्ति कर सकेगा।

(12) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का संपादन कर सकेगा, जो उसे इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन उसे प्रदत्त हो या अधिरोपित हो।

(13) इस अधिनियम के प्रथम प्रवर्तन की तारीख से छह माह की अवधि के लिए कुलपति को निम्नलिखित अतिरिक्त शक्तियाँ होंगी:-

- (i) कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यक्षीन, विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए इस अधिनियम के अधीन परिनियम बनाना

परन्तु कुलपति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय में विद्यमान परिनियमों को यथावश्यक परिवर्तन सहित अंगीकार कर सकेगा।

- (ii) कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, औपबंधिक प्राधिकारों तथा निकायों का गठन कर सकेगा और उनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए नियमावली बनाना।
- (iii) कुलाधिपति के नियंत्रण के अध्यक्षीन, ऐसी वित्तीय व्यवस्था करना तथा ऐसा व्यय करना जो इस अधिनियम या इसके किसी अंश को कार्यरूप देने के लिए यथावश्यक हो;
- (iv) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी नियुक्तियाँ करना जो इस अधिनियम या इसके किसी अंश को कार्यरूप देने के लिए यथावश्यक हो।
- (v) कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से उसके द्वारा यथानिर्देशित कृत्यों के निर्वहन के लिए यथोचित समितियों की नियुक्ति करना;
- (vi) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रबंधन बोर्ड को प्रदत्त किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

22. विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी।-सामान्य निर्बंधन और शर्तें :- धारा- 18 के खंड (iii) से (vii) तक में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के संबद्ध प्राधिकार के अनुमोदन से तथा यथाविहित निर्बंधनों और शर्तों पर कुलपति द्वारा की जाएगी और वे विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे। ऐसे पदाधिकारी के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो परिनियमों द्वारा यथाविहित हों।

23. निदेशक, डीन, रजिस्ट्रार, नियंत्रक आदि।-(1) रेजिडेंट शिक्षण निदेशक-सह-डीन (पी०जी०एस०) स्नातक पूर्व एवं स्नातकोत्तर रेजिडेंट शिक्षण के अन्तर संकाय और अन्तर विभागीय समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे।

(2) निदेशक, शोध विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रम के निदेशन एवं समन्वय के जिम्मेदार होंगे।

(3) निदेशक, विस्तार शिक्षा कृषि विस्तार कार्यक्रम के निदेशन और समन्वय के जिम्मेदार होंगे।

अन्य निदेशकों के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ वही होंगी जो परिनियमों द्वारा यथाविहित हों।

(4) संकाय के डीन/डीन : डीन संकाय और इसके अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष होंगे तथा संकाय के शिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु कुलपति के प्रति जिम्मेदार होंगे।

(5) रजिस्ट्रार :

(क) प्रबंधन बोर्ड तथा विद्वत् परिषद् का पदेन सचिव होंगे और सभी परिषदों के स्थाई आमंत्रित होंगे।

(ख) विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुहर (सील) की सम्यक् अभिरक्षा का जिम्मेदार होगा।

- (ग) यथाविहित स्थापना विषयक कार्य तथा विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन का जिम्मेदार होगा।
- (घ) स्नातक पूर्व (यू०जी०) तथा स्नातकोत्तर (पी०जी०) पाठ्यक्रमों में नामांकन, यू०जी० और पी०जी० की परीक्षाओं का संचालन एवं प्रबंधन, विश्वविद्यालय के छात्रों के स्थाई अभिलेखों, जिनमें लिए गए पाठ्यक्रम, प्राप्त क्रेडिट, उपाधियों, पुरस्कारों अथवा अन्य विशिष्ट उपाधियों (डिस्टींसन्स) तथा छात्रों के अकादमिक कार्यकलाप और अनुशासन से संबंधित अन्य वस्तुएँ भी शामिल हैं, के अनुरक्षण का जिम्मेदार होगा।
- (6) नियंत्रक :
- (क) विश्वविद्यालय बजट, लेखा विवरण बनाने, निधियों के प्रबंधन तथा निवेश का जिम्मेदार होगा।
- (ख) यह सुनिश्चित करने का जिम्मेदार होगा कि यथाप्राधिकृत व्यय हो।
- (ग) विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों में संधारित लेखा के आवधिक आन्तरिक निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।
- (घ) बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित रूप में तथा रीति से विश्वविद्यालय के लेखा के संधारण का जिम्मेदार होगा तथा नकद की स्थिति, बैंक अतिशेष और निवेश की स्थिति पर सतत नजर रखेगा।
- (ङ) यह देखेगा कि आस्तियों से संबंधित रजिस्टर का अद्यतन संधारण हो और नियमित स्टॉक मिलान किया जाए।

(7) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन, धारा- 18 के खंड (iii) से (vii) तक में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ऐसे अन्य कर्तव्यों का संपादन करेंगे जो उन्हें समय-समय पर कुलपति द्वारा विहित या समनुदेशित किया जाए।

अध्याय-V

शिक्षकों एवं कर्मियों की सेवा-शर्तें

24. चयन, नियुक्ति तथा वेतन एवं शर्तों का निर्धारण।—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन विश्वविद्यालय शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, चयन, वेतन एवं भत्तों का निर्धारण तथा अन्य सेवा शर्तों की प्रक्रिया विहित परिनियम में यथाविहित रूप में होगी।

(2) अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या इसके संस्थान, वित्तीय दायित्व वाले किसी प्रकार के शिक्षकीय, गैर शिक्षकीय पद का सृजन तथा अपने कर्मियों के वेतन-भत्तों में वृद्धि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं कर सकेगा।

अध्याय-VI

शिक्षा, शोध एवं विस्तार शिक्षा

25. शिक्षा।—(1) इस अधिनियम के अध्यक्षीन विश्वविद्यालय की शिक्षा के अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टर की उपाधि संबंधी कार्यक्रम तथा कृषि एवं यथाविहित सहबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में अल्पकालिक डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स इत्यादि सम्मिलित होंगे।

(2) शिक्षा कार्यक्रम, राज्य एवं राष्ट्रीय नीतियों के बीच सर्वांगसमता बनाए रखेगा।

(3) विश्वविद्यालय ई-शिक्षा, वितरित/दूर शिक्षा, आई०सी०टी० समर्पित जानकारी का आदान-प्रदान करने इत्यादि से संबंधित पहल करेगा।

(4) कृषि शिक्षा के कार्यक्रमों का लक्ष्य सक्षम तथा कुशल स्नातक एवं स्नाकोत्तरधारी प्रस्तुत करना होगा।

26. शोध।—(1) इस अधिनियम तथा परिनियम के अध्यक्षीन, विश्वविद्यालय कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में युक्तिपूर्ण, बुनियादी तथा अनुप्रयुक्त गवेषणा को बढ़ावा देगी

(2) अपने शोध संगठन के माध्यम से विश्वविद्यालय कृषि, पशुपालन तथा इसके क्षेत्राधिकार के अन्य सहबद्ध शाखाओं के लिए प्रधान नियंत्रक एजेंसी होगा।

(3) विश्वविद्यालय सरकार की सहमति से कार्यान्वयन सहित शोध संचालन हेतु अपने क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत विभिन्न कृषि जलवायु जोन में क्षेत्रीय/जोनल अनुसंधान केन्द्र एवं उप अनुसंधान केन्द्र स्थापित कर सकेगा।

27. विस्तार शिक्षा।—(1) विश्वविद्यालय में विस्तार शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा तथा, इस अधिनियम एवं परिनियम के अध्यक्षीन प्रावैधिक मूल्यांकन परिष्करण को सुनिश्चित करेगा तथा त्वरित कृषि विकास हेतु किसानों एवं अन्य के लिए शोध के निष्कर्ष पर आधारित प्रौद्योगिकी के प्रसार के सुकर बनाएगा। इसके द्वारा विभिन्न पणधारियों के लिए प्रदर्शनों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के साथ

विश्वविद्यालय की विभिन्न ईकाइयों तथा केन्द्र और राज्य सरकार की दूसरी समुचित एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय राज्य में कृषि विस्तार के विकास का प्रतिमान विकसित करने का उत्तरदायी होगा।

(3) विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पदाधिकारियों/विस्तार अधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार में आनेवाले किसानों को कृषि के नवाचारों से संबंधित प्रशिक्षण संबंधी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

28. शिक्षण, शोध और विस्तार शिक्षा का एकीकरण।—(1) कुलपति विश्वविद्यालय के सक्षम पदाधिकारियों के परामर्श से शिक्षा, शोध एवं विश्वविद्यालय के विस्तारी शिक्षा के गतिविधियों के पूर्ण एकीकरण हेतु यथोचित कदम उठाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) शिक्षण संवर्ग का प्रत्येक संकाय सदस्य प्रत्येक अकादमिक वर्ष में शिक्षण-कार्य के अतिरिक्त कुछ समय (30% से अधिक नहीं) और कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के सक्षम पदाधिकारी के परामर्श से यथा निर्धारित अवधि तक) तक शोध और/ या विस्तार क्रियाकलापों में निरत रहेगा। उसी प्रकार शोध या विस्तार संवर्ग का सदस्य कुछ समय शिक्षण कार्य में व्यतीत करेगा।

(3) महाविद्यालय/संकाय में पदस्थापित शिक्षण, शोध एवं विस्तार शिक्षा के सभी कर्मचारी संकाय के डीन/महाविद्यालय/संकाय डीन के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे तथा यथास्थिति निदेशक (शोध) एवं निदेशक (विस्तार शिक्षा) के समग्र तकनीकी नियंत्रण में होंगे।

(4) विश्वविद्यालय राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने शोध एवं विस्तार शिक्षा का कार्यक्रम विकसित करेगा तथा सरकार एवं अन्य पणधारियों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायेगा।

अध्याय-VII

निधि तथा लेखा

29. विश्वविद्यालय की निधियाँ।—(1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी जिसमें :—

- (i) शुल्कों, विन्यासों तथा अनुदानों से प्राप्त आय और विश्वविद्यालय की सम्पत्ति यथा छात्रावास, शोध केन्द्रों एवं फार्मों से प्राप्त आय;
 - (ii) सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंध के संगत शर्तों पर दिया गया अंशदान एवं अनुदान;
 - (iii) अन्य अंशदान, अनुदान, दान तथा ऋण एवं दूसरी प्राप्ति; जमा की जाएगी।
- (2) विश्वविद्यालय संस्थापन निधि के नाम से एक कोष का गठन करेगा। केन्द्र सरकार या राज्यसरकार या इस निधि हेतु जमा करने के लिए अनुमोदित एजेंसी द्वारा किए गए अंशदान और अनुदान तथा बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य राशि इस निधि में जमा की जाएगी। जब कभी आवश्यक हो बोर्ड यथाविनिर्दिष्ट राशि संस्थापन निधि से सामान्य निधि में यथाविहित रीति से पुनः अन्तरित कर सकेगा।
- (3) विश्वविद्यालय सरकार द्वारा दिये गए किसी अनुदान से संबंधित लेखा विवरण, रिपोर्ट एवं अन्य विशिष्टियाँ सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा सरकार द्वारा यथानिदेशित समय के भीतर और यथानिदेशित रीति से अनुदान के उपयोग से संबंधित ऐसे विवरण, खाते प्रतिवेदन एवं अन्य विशिष्टियाँ एवं अन्य विवरण प्रस्तुत करेगा और कार्रवाई करेगा जैसा कि उसे निदेशित किया जाए।
- (4) अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय, सरकार से या किसी अन्य राज्य सरकार से या केन्द्र सरकार से या वैधानिक निकायों से अनुदान या दान ऐसी शर्तों पर स्वीकार करने के लिए सक्षम होगा जिसके लिए विश्वविद्यालय और अनुदान दाता या दाता के बीच करार किए हों।

30. निधि का प्रबंधन।— विश्वविद्यालय की सामान्य निधि, संस्थापन निधि एवं अन्य निधियों का प्रबन्ध परिनियम द्वारा निर्धारित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

31. लेखा तथा अंकेक्षण।— विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा विवरण नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा तथा बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट या प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। विवरण में विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त सभी धन चाहे वे जिस किसी स्रोत से आए हों, तथा विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान की गयी सभी रकम सम्मिलित होगी। ऐसा विवरण बोर्ड द्वारा सामान्यतः संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

32. भविष्य निधि, पेंशन और बीमा।—(1) विश्वविद्यालय यथा विहित रीति से तथा विहित शर्तों के अध्ययधीन अपने पदाधिकारियों, शिक्षकों, अनुसचिवीय कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार द्वारा यथाअनुमोदित, पेंशन, उपदान, बीमा, भविष्यनिधि, अंशदायी पेंशन निधि का गठन करेगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार गठित ऐसे पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधि के लिए राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम के उपबंध इन निधियों पर लागू होंगे मानो यह सरकारी भविष्य निधि हो;

परन्तु, वित्त समिति तथा बोर्ड के परामर्श से विश्वविद्यालय को यह शक्ति होगी कि वह भविष्य निधि का निवेश ऐसी रीति से करे जैसा कि वह अवधारित करे।

33. सरकारी अनुदान।—सरकार हर वर्ष विश्वविद्यालय को निम्नलिखित एकमुश्त अनुदान देगा, यथा :—

- (1) विश्वविद्यालय के समुचित कार्य संपादन के लिए कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, विश्वविद्यालय की आकस्मिकताओं, आपूर्तियों और सेवाओं से संबंधित प्राक्कलित व्यय से अन्यून अनुदान।
- (2) आवर्तक और अनावर्तक व्यय के ऐसे अतिरिक्त मदों को पूरा करने के लिए अनुदान जो राज्य सरकार आवश्यक समझे।

34. वित्त समिति।—(1) बोर्ड एक वित्त समिति का गठन निम्नलिखित रूप में करेगा:—

- (i) कुलपति — अध्यक्ष;
 - (ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, राज्य सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती जो संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का हो;
 - (iii) प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, राज्य सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती जो संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का हो;
 - (iv) बोर्ड के सदस्यों में से एक निदेशक/डीन, जिनका नाम निर्देशन कुलपति द्वारा किया जाएगा;
 - (v) बोर्ड का एक नाम निर्देशिती;
 - (vi) नियंत्रक — सदस्य सचिव।
- (2) वित्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

- (i) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट प्राक्कलनों की जाँच करना तथा उस पर बोर्ड को सलाह देना।
- (ii) समय-समय पर विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कराना।
- (iii) विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय मामलों पर बोर्ड को अनुशंसा करना।
- (iv) बजट में उपबंधित राशि से अधिक व्यय से संबंधित सभी प्रस्तावों पर बोर्ड को अनुशंसा करना।

अध्याय — VIII

परिनियम और विनियम

35. परिनियम।— इस अधिनियम के उपबंधों के अधधीन, विश्वविद्यालय के परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से जुड़े किसी विषय पर तथा खासकर निम्नलिखित विषयों पर उपबंध किया जा सकेगा :—

- (1) प्राधिकारों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य,
- (2) विश्वविद्यालय अकादमिक गतिविधि में सुधार के लिए आवश्यक या वांछनीय अन्य निकायों या समितियों का गठन, संरचना और कृत्य,
- (3) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न पदाधिकारियों का पदनाम, उनकी शक्तियाँ, कृत्य, कर्तव्य, नियुक्ति तथा चयन की रीति और सेवा के निर्बंधन एवं शर्तें,
- (4) विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा गैर शिक्षकीय कर्मचारियों का वर्गीकरण, अर्हता और नियुक्ति की रीति, सेवा के निर्बंधन एवं शर्तें तथा कर्तव्य,
- (5) कुलपति की सेवा के निर्बंधन और शर्तें,
- (6) विश्वविद्यालय के संकायों, विभागों/शोध स्थलों/केन्द्रों अथवा अन्य इकाइयों की स्थापना, आमेलन, उप विभाजन या समापन,
- (7) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के हित में पेंशन और बीमा स्कीमों की स्थापना तथा ऐसी स्कीमों की नियमावली, निर्बंधन एवं शर्तें,
- (8) उपाधि (डिप्री) और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन,
- (9) मानद उपाधियों और अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना और वापस लेना,
- (10) विश्वविद्यालय के अधीन नियोजित पदाधिकारियों, शिक्षकों और अन्य व्यक्तियों की सेवा शर्तें, तथा उन्हें भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक एवं भत्ते जिसमें यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता भी शामिल है,
- (11) परीक्षण निकायों तथा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें एवं ढंग और कर्तव्य,

- (12) विश्वविद्यालय द्वारा संस्थापित अथवा अनुरक्षित महाविद्यालयों/केन्द्रों/प्रभागों/विभागों/क्षेत्रीय केन्द्रों/अन्य कृषि विकास केन्द्रों/संस्थानों का प्रबंधन,
- (13) शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन,
- (14) पदाधिकारियों का पदनाम, उनकी नियुक्ति की रीति, शक्तियाँ और उनके कर्तव्य,
- (15) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम में हो अथवा परिनियम द्वारा उपबंधित की जाए,

36. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएँगे।—(1) इस अधिनियम के अधीन परिनियमों का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा किया जाएगा और सहमति के लिए कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा तथा सहमति प्राप्त होने और कुलपति द्वारा अधिसूचित किए जाने पर ही विधिमान्य होगा। किन्तु, धारा-35(7) और (10) से संबंधित परिनियम में राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(2) कुलाधिपति की सहमति से बोर्ड द्वारा किसी परिनियम को संशोधित या निरस्त किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी परिनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएँगे।

37. विनियम।—(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकार इस अधिनियम और परिनियम के संगत विनियम निम्नलिखित बातों के लिए बना सकेगें :-

- (i) अपनी बैठकों की प्रक्रिया का विनिर्धारण और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या।
- (ii) ऐसे विषयों के लिए उपबंध करना जो इस अधिनियम और परिनियम के अधीन विनियमों द्वारा विनियमित किया जाना हो।
- (iii) ऐसे किसी अन्य मामले के लिए उपबंध करना जो एक मात्र इस प्राधिकार से संबंधित हो और जो इस अधिनियम तथा परिनियम द्वारा उपबंधित न हो।
- (2) इस अधिनियम और परिनियम के अध्यक्षीन, विद्वत् परिषद् पाठ्यक्रम, परीक्षा-पद्धति, अकादमिक कलेंडर, विश्वविद्यालय की उपाधि और डिप्लोमा तथा रजिस्ट्रेंट शिक्षण से संबंधित अन्य मामलों के लिए विनियम बना सकेगी।
- (3) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार द्वारा बनाए गए विनियम बोर्ड के ऐसे निदेशों के अध्यक्षीन होंगे जो समय-समय पर इस संबंध में दिए जाएँ।
- (4) विश्वविद्यालय का विद्वत् परिषद् निम्नलिखित बातों के लिए विनियम बना सकेगी:-
 - (i) उपाधि और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन,
 - (ii) मानद उपाधि, अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना तथा उपाधि वापस लेना,
 - (iii) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना और उनका समापन,
 - (iv) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, वजीफा, मेडल तथा पुरस्कार संस्थित करना और उन्हें प्रदान करने की शर्तें,
 - (v) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और नामांकन तथा इस रूप में बने रहना और नामांकन से छात्रों को हटा दिए जाने की शर्तें एवं प्रक्रिया,
 - (vi) विश्वविद्यालय द्वारा ली जानेवाली फीस,
 - (vii) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए विनिर्धारित किए जानेवाले पाठ्यक्रम,
 - (viii) वे शर्तें, जिनके अधीन विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा या अन्य पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के लिए नामांकित किया जाएगा तथा उपाधि एवं डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु उनकी पात्रता।
 - (ix) उपाधियों और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान किए जाने की शर्तें,
 - (x) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।
 - (xi) विशेष व्यवस्था, यदि कोई हो, जो छात्राओं के आवासन, अनुशासन और अध्यापन के लिए की जाए तथा महिलाओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम का उपबंध।
 - (xii) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासन की शर्तें तथा छात्रावासों में आवासन के लिए ली जानेवाली फीस।

अध्याय - IX

प्रकीर्ण

38. छात्रों का आवासन।— छात्र नियमों द्वारा यथाउपबंधित आवासीय हॉस्टल में रहेंगे।

39. वार्षिक प्रतिवेदन।— विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन रजिस्ट्रार कुलपति के निदेशाधीन समनुदेशित अन्य पदाधिकारी द्वारा सामान्यतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर तैयार किया जाएगा और जिस बैठक में उस पर विचार किया जाना हो उससे पूर्व बोर्ड के सदस्यों को प्रचारित किया जाएगा। वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के बाद बोर्ड उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।

40. शक्तियों का प्रत्यायोजन।— प्रबंधन बोर्ड (बो0ओ0एम0) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए परिनियम के अधीन प्रयोग की जा सकनेवाली शक्तियों का प्रत्यायोजन, प्रबंधन बोर्ड के यथोचित शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यक्षीन, किसी प्राधिकार, पदाधिकारी, महाविद्यालयों/विभागों/संस्थानों के अध्यक्षों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

41. तदर्थ समितियों का गठन।— इस अधिनियम में किसी बात के होते भी तथा प्राधिकारों के सम्यक् गठन के समय तक के लिए, कुलपति, बोर्ड के गठन के बाद इसके अनुमोदन के अध्यक्षीन, इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकार की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों के प्रयोग, संपादन और निर्वहन के लिए अस्थाई तौर पर समितियाँ नियुक्त कर सकेगा।

42. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और निकायों के संस्थापन से संबंधित विवाद।—यदि किसी व्यक्ति के संबंध में कोई प्रश्न उठे कि वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या नहीं अथवा वह उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देश किया जाएगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा,

परन्तु कोई निर्णय करने के पूर्व कुलाधिपति उससे प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देंगे।

43. विधिक कार्यवाही।—विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध सभी वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाही रजिस्ट्रार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विश्वविद्यालय की ओर से विधि पदाधिकारी द्वारा अथवा कुलपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट: नामनिर्दिष्ट किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा संस्थित, अभियोजित या बचाव किया जाएगा।

44. विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित पदों पर नियुक्ति।—(1) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से जुड़े पदों पर और सेवाओं में नियुक्ति, यथाविहित संबद्ध प्राधिकार के अनुमोदन से, कुलपति द्वारा की जाएगी,

परन्तु, सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) के वेतनमान से निम्नतर वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के संबंध में बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी तथा परिनियम बनाए जाने अथवा विश्वविद्यालय के प्राधिकारों का गठन होने तक, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित पदों पर और सेवाओं में नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा यथा अनुमोदित निर्बंधनों एवं शर्तों पर, कुलपति द्वारा की जा सकेगी।

45. अंतःकालीन उपबंध।—(1) इस अधिनियम में अथवा राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियम में अथवा इन अधिनियमितियों में से किसी के अधीन बनाए गए परिनियम या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी छात्र को, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व इस महाविद्यालय में पढ़ रहा था, जिसे (अन्य) विश्वविद्यालयों की उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के लिए विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार दिया गया हो या इसके बाद दिया जाएगा, इस विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार:—

- (क) विश्वविद्यालय (राज्य के अन्य विश्वविद्यालय) के पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी पाठ्यचर्या पूरी करने की अनुमति दी जाएगी,
- (ख) इस विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा ली जायगी, और यदि ऐसी परीक्षा के परीक्षाफल में वह अर्हित होता हो तो विश्वविद्यालय की संगत उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने का पात्र होगा,
- (ग) उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने की सामान्य अवधि दो वर्ष के अन्तर्गत परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष में, विभिन्न संकायों और विषयों के सभी पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय परीक्षा, यथास्थिति, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित की जाएगी और पश्चात्पूर्वी वर्षों में परीक्षा इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाएगी।

46. विद्यमान महाविद्यालयों और संस्थानों से संबंधित उपबंध।—(1) अनुसूची—। में उपदर्शित महाविद्यालयों तथा शोध संस्थानों का अनुरक्षण, नियंत्रण एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(2) अनुसूची—। में उपदर्शित संस्थान से संबंधित सभी संपत्ति, आस्तियों, दायित्व और बाध्यता विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जाएगी तथा उसमें निहित या उसका न्यागत हो जाएगी।

(3) विश्वविद्यालय (राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों) अधिनियम या विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कृषि महाविद्यालय/पशु चिकित्सा महाविद्यालय या (सरकार द्वारा यथा अनुमोदित) संबद्ध क्षेत्रों के अन्य महाविद्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् राज्य के अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में अनुरक्षित किए जाएंगे।

(4) अनुसूची—। में उल्लिखित किसी महाविद्यालय, शोध संस्थान के सभी कर्मचारी या पदाधिकारी और संस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारी होंगे और राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं रह जाएंगे,

परन्तु, बिहार राजपत्र में इस अधिनियम की अधिसूचना प्रकाशित होने के एक वर्ष के अन्तर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को लिखित नोटिस देंगे, उन्हें राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकारी की सेवा में बनाए रखने तथा समतुल्य पद पर पदस्थापित किए जाने की अनुमति दी जा सकेगी। इसी प्रकार, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी, यदि वे ऐसी इच्छा जाहिर करें तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में अपने आमेलन के लिए राज्य सरकार को लिखित नोटिस दे सकेंगे। राज्य सरकार अपने निर्णय से विश्वविद्यालय को अवगत कराएगी।

47. कठिनाइयों को दूर करना।—(1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए जो भी आवश्यक प्रतीत हो वैसा कुछ भी करने का आदेश सरकार दे सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश को किसी विधि न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी जिसे दूर करना हो।

(3) इस धारा के अधीन प्रकाशित हरेक आदेश, इस आदेश के प्रकाशन के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

48. निरसन एवं व्यावृत्ति।— (1) बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (बिहार अधिनियम, 8, 1988) अनुसूची—। में परिगणित संस्थानों के संबंध में इस अधिनियम के निबंधनों के अनुसार उपान्तरित समझे जाएंगे।

(2) ऐसा संशोधन होने के बावजूद, उक्त अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में या उसके अधीन की गई मानी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन वैसी बात की गई या वैसी कार्रवाई की गई।

अनुसूची—।

I. शैक्षिक संस्थान—

1. बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर, भागलपुर
2. मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, अगवानपुर, सहरसा
3. बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
4. संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
5. उद्यान कृषि महाविद्यालय, नूरसराय, नालन्दा

II. अनुसंधान संस्थान/केन्द्र/उपकेन्द्र—

1. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, अगवानपुर, सहरसा
2. क्षेत्रीय अनुसंधान उपकेन्द्र, जलालगढ़, पूर्णियाँ
3. जूट अनुसंधान केन्द्र, कटिहार
4. सिंचाई अनुसंधान केन्द्र, मधेपुरा
5. क्षेत्रीय अनुसंधान उपकेन्द्र, अररिया
6. क्षेत्रीय अनुसंधान उपकेन्द्र, मुंगेर
7. महीन धान अनुसंधान उप केन्द्र, तिलोन्धा, भागलपुर
8. सिंचाई अनुसंधान केन्द्र, विक्रमगंज, रोहतास
9. वानस्पतिक अनुसंधान उप केन्द्र, धनगाँई, रोहतास
10. कृषि अनुसंधान संस्थान, पटना
11. दलहन अनुसंधान केन्द्र, मोकामा, पटना
12. पानवल्लरी अनुसंधान केन्द्र, इस्लामपुर, नालन्दा

III. कृषि विज्ञान केन्द्र—

1. कृषि विज्ञान केन्द्र, मुंगेर
2. कृषि विज्ञान केन्द्र, अरिआरी, शेखपुरा
3. कृषि विज्ञान केन्द्र, अगवानपुर, सहरसा
4. कृषि विज्ञान केन्द्र, जलालगढ़, पूर्णिया
5. कृषि विज्ञान केन्द्र, कटिहार
6. कृषि विज्ञान केन्द्र, मधेपुरा
7. कृषि विज्ञान केन्द्र, सबौर, भागलपुर
8. कृषि विज्ञान केन्द्र, अररिया
9. कृषि विज्ञान केन्द्र, बाँका
10. कृषि विज्ञान केन्द्र, लखीसराय
11. कृषि विज्ञान केन्द्र, सुपौल
12. कृषि विज्ञान केन्द्र, किशनगंज
13. कृषि विज्ञान केन्द्र, बाढ़, पटना
14. कृषि विज्ञान केन्द्र, हरनौत, नालन्दा
15. कृषि विज्ञान केन्द्र, विक्रमगंज, रोहतास
16. कृषि विज्ञान केन्द्र, जहानाबाद
17. कृषि विज्ञान केन्द्र, औरंगाबाद
18. कृषि विज्ञान केन्द्र, गया
19. कृषि विज्ञान केन्द्र, अरवल

अधिसूचना

16 अप्रैल 2010

सं० एल०जी० 1-18/2010/लेज-127—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2010 को अनुमत बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

[Bihar Act 12, 2010]

THE BIHAR AGRICULTURAL UNIVERSITY ACT 2010

AN

ACT

TO ESTABLISH AND INCORPORATE AN UNIVERSITY FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL AND ALLIED SCIENCES IN THE STATE OF BIHAR

BE it enacted by the legislature of the state of Bihar in the sixty one year of the Republic of India as follows:

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. *Short title, extent and commencement*—(1) This Act may be called the Bihar Agricultural University Act, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the Government may appoint by notification in the Government gazette.

2. *Definitions*—In this Act and all Statutes and Regulations made there under, unless the context otherwise requires:

(1) "Academic Council" means the Academic Council of the University.

(2) "Act" means the Bihar Agricultural University Act, 2010.

(3) "Agriculture" includes the disciplines of:

(a) Natural Resource Management;

(b) Crop Improvement including Production and Protection;

(c) Horticulture;

(d) Veterinary, Animal Sciences and Fisheries;

(e) Dairy Sciences and Technology;

(f) Forestry;

(g) Agricultural Engineering and Technology;

(h) Food Technology;

(i) Home Science;

(j) Agri-business Management;

(k) Agricultural Bio-technology;

(l) Basic Sciences and Humanities in relation to Agriculture;

(m) Any other subject related to Agriculture, and allied sciences applicable for management and socio-economic upliftment of the rural communities.

(4) "Authority" means any authority of the University as specified in this Act;

(5) "Board" means Board of Management (BOM) of the University;

- (6) “Board of Studies” means academic affairs committee at faculty level;
- (7) "College" means a constituent college of the University;
- (8) "Chancellor" means Chancellor of the University;
- (9) "Comptroller" means Comptroller of the University;
- (10) "Dean" means Head of a constituent college;
- (11) “Dean of the Faculty” means Head of a Faculty
- (12) “Department” means Department of the Faculty;
- (13) "Director" means and includes Director of Resident Instruction, Director of Research, and Director of Extension Education;
- (14) "Faculty" means Faculty in the University as specified in the Act and the Statutes.
- (15) "Government" means Government of Bihar;
- (16) "Governor" means the Governor of the State of Bihar;
- (17) “Head” means Head of the College /Department;
- (18) “KVK” means Krishi Vigyan Kendra under the jurisdiction of the University;
- (19) “Officer” means an officer of the University as specified in the Act/Statutes;
- (20) “Prescribed” means provision as set forth in the Act/Statutes/Regulations of the University;
- (21) “Registrar” means Registrar of the University;
- (22) “Scheduled Castes” means the Scheduled Castes specified in Part III to the Schedule to the Constitution (Scheduled castes) order, 1950;
- (23) “Scheduled Tribes” means the Scheduled Tribes specified in Part III to the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950;
- (24) “Statutes” Regulations and Rules means respectively the Statutes;Regulations and Rules of the University for the time being inforce;
- (25) “Student” means the person admitted and enrolled in a constituent college/faculty of the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic Programmes duly instituted;
- (26) “Teacher” means a person not below the rank of Assistant Professor appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instruction and/or conducting and guiding research and/or extension education programmes, and may include any other person who may be declared by the Statutes to be a teacher with minimum prescribed qualifications.
- (27) “Unit” means and includes service units of the University;
- (28) “University” means Bihar Agricultural University;
- (29) “Vice-Chancellor” means Vice-Chancellor of the University;

CHAPTER II

THE UNIVERSITY

3. *Establishment and Incorporation of the University*—(1) The following University shall be established with effect from the date of enforcement of this Act:
- (i) The Bihar Agricultural University with the Headquarters at Sabour, District Bhagalpur having its jurisdiction over the whole State of Bihar.
 - (ii) All Colleges, Research and Experimental Stations, Krishi Vigyan Kendras or other Institutions mentioned in Schedule-I shall be its constituent units under the full management and control of its officers and authorities and no such units shall be recognized as affiliated units. The State Government shall have power to add or delete any institution to/from Schedule I.
- (2) The University shall consist of a Chancellor, a Vice-Chancellor, Board of Management, Academic Council and other authorities and officers and constituent bodies as set forth in this Act or as provided in the Statutes.

- (3) The University shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.
- (4) A University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, lease, sell or otherwise transfer any movable or immovable property which may have become vested in or has been acquired by it for the purpose of a University, and to borrow money from the Central Government, State Government or any corporate body approved by the State Government and to contract and do all other things necessary for the purpose of this Act. Provided that the University shall not lease, sell or otherwise transfer any immovable property transferred to it by the State Government without the prior approval of the State Government.
- (5) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleading shall be signed and verified by the Registrar or by the Law Officer or any other officer as authorized by the Vice-Chancellor and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and served on the Registrar/Law Officer.

4. *Territorial Jurisdiction and Constituent Bodies*—(1) With respect to teaching at the University or college level, research, and extension education programmes in the field of agriculture and its allied fields broadly defined in this Act, the territorial jurisdiction and responsibility of the University shall extend to the area as mentioned in Section 3 (1) (i) and (ii).

- (2) All colleges, research stations, KVKs and other institutions coming under the jurisdiction and authority of the University shall come in as constituent units of the University under the full management and control of the university officers and authorities. No unit shall be recognized as an affiliated unit.
- (3) The University may assume responsibility for the establishment, development and operations of its constituent bodies in the territorial jurisdiction as may be required.
- (4) The University shall have authority throughout its jurisdiction to provide for, instruction, teaching, research, extension education and training in Agriculture & allied subjects in the State.
- (5) No University other than those Agricultural Universities already existing in the State or is established by an Act of the Government of Bihar or the Government of India, to which this Act relates shall be competent to award any degree in Agriculture in the State except in the discipline of Home Science.
- (6) The University may have collaborative research project with other Universities set up under this Act or otherwise or with other institution in subjects of common interest.

5. *Objectives of the University*—The University shall be established and incorporated for the following purposes:

- (1) Making provision for imparting education in different branches of Agriculture and any other allied branches of learning and scholarship which the University may find necessary to include;
- (2) Furthering the advancement of learning and conducting of research in Agriculture;
- (3) Undertaking extension education activities for the welfare of people of State;
- (4) Promoting partnership and linkages with national and international educational institutions;

- (5) Such other purposes as the University or the State Government may from time to time determine;

6. *Admission to the University*—(1) The University shall, subject to the provisions of this Act and the statutes, be open to all persons;

Provided that nothing in this section, shall require the University to admit to any course of study any person who do not meet the prescribed academic requirements/standards for admission or to retain on the rolls of the University, persons whose academic records are below the minimum standards required for the award of a degree or whose personal conduct is such as to be inimical to the purpose of the University or to the appropriate rights and privileges of other students and staff.

(2) Subject to the provisions under sub section (1), the University shall reserve seats for Scheduled castes, Scheduled tribes and other categories specified by the Government,

Provided that no such person shall be entitled to be admitted to the university unless he or she meets the standards prescribed in respect of such candidates.

(3) A University may admit to any course of study a large number of students that can be accommodated in the available faculties of the University or in a particular college or department as determined by the Academic Council.

7. *Powers and functions of the University*—A University shall have the following powers and functions:

- (1) to provide for undergraduate and postgraduate instructions in Agriculture and other allied areas as the university may deem fit;
- (2) to provide for conduct of research in agriculture and its allied branches;
- (3) to provide for dissemination of the findings of research and technical information through extension education programme;
- (4) to institute degree, diploma and other academic distinctions;
- (5) to institute courses of study and hold examinations and confer degree, diploma, certificates and other academic distinctions on persons who have:-
 - (i) pursued courses of study as prescribed, and
 - (ii) carried out research in the University or institution recognized in this behalf by the University as may be prescribed;
- (6) to confer honorary degrees and other distinctions as may be prescribed;
- (7) to provide lectures and instructions for field workers, farmers other persons not enrolled as regular students of the University and to grant certificate to them as may be prescribed;
- (8) to have collaboration in academic, research and extension education programmes with other universities, ICAR Institutes and Public and Private R&D organizations/institutions.
- (9) to acquire, hold and retain property, both movable and immovable which may have become vested or have been acquired by it for the purpose of the University;
- (10) to establish and maintain colleges/faculties, Research Stations/Laboratories, KVKs and other units thereof relating to agriculture and allied Sciences;
- (11) to create teaching, research and extension education posts with the prior approval of the State Government and to appoint persons to such posts;
- (12) to create administrative and other posts with the prior approval of the State Government and to appoint persons to such posts;

- (13) to institute and award fellowship, scholarships, stipends, prizes in accordance with the Statutes;
- (14) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed;
- (15) to institute and maintain residential accommodations for students and staff of the University as appropriate;
- (16) to supervise and control the residence, conduct and discipline of the students of the University, and to make arrangement for promoting their health and welfare.
- (17) to determine qualifications for teachers and to recognize persons as qualified to give instruction or to carry out research and extension education in Agriculture and allied sciences.
- (18) to do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not as may be required in order to further the objectives of the university.

CHAPTER III

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

8. *Authorities of the University*—The following shall be the authorities of the University namely:-

- (1) Board of Management;
- (2) Senate;
- (3) Academic Council;
- (4) Faculties and their Board of Studies;
- (5) Such other bodies of University as may be declared by the Statutes to be authorities of University;

9. *Board of Management and its Constitution*—(1) The Board of Management shall be the Chief Executive body of the University and shall consist of the following persons:-

- (i) The Vice-Chancellor –Chairperson;
- (ii) Agriculture Production Commissioner/Principal Secretary/ Secretary, Department of Agriculture, Government of Bihar;
- (iii) Principal Secretary/ Secretary, Finance Department of the State Government;
- (iv) Principal Secretary/ Secretary, Department of Animal and Fisheries Resources;
- (v) Director, Agriculture;
- (vi) Director, Horticulture;
- (vii) One eminent educationist (not below the rank of Professor) from the field of Agriculture and allied Sciences to be nominated by the State Government;
- (viii) Two representatives of State Legislature to be nominated by the State Government;
- (ix) One outstanding woman social worker having background of rural advancement to be nominated by the State Government;
- (x) One progressive farmer from the jurisdiction of the university to be nominated by the State Government;
- (xi) One distinguished agro-industrialist to be nominated by the State Government;

- (xii) One representative from the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to be nominated by the Director General, ICAR;
- (xiii) One Director to be nominated by the Vice-Chancellor in rotation as prescribed in the Statutes;
- (xiv) One Dean to be nominated by the Vice-Chancellor in rotation as prescribed in the Statutes;
- (xv) One Chairman of the Post-Graduate Department to be nominated by the Vice-Chancellor in rotation as prescribed in the Statutes;
- (xvi) Registrar – Secretary;

(2) The term of the office of the Members of the Board other than the ex-officio members shall be two years.

(3) When a vacancy occurs in the office of any member by the reason of death, resignation or any cause other than the expiry of term, the vacancy shall be filled in accordance with the provisions of this section and the person who fills such vacancy shall hold office for the residue of the term for which the person whose place he/she fills would have been a member.

(4) No action or proceedings of the Board shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board.

(5) One third of the members of the Board shall form quorum at a meeting of the Board. Provided that if a meeting of the Board is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting called for transacting the same business.

(6) Normally the Board shall on dates to be fixed by the Vice-Chancellor meet at least twice a year. However, Vice-Chancellor may whenever, he thinks fit and shall, upon the requisition in writing signed by not less than five members of the Board, convene a special meeting of the Board.

10. *Powers and Functions of the Board of Management*—The Board of Management shall exercise the following powers and shall perform the following duties, namely:-

- (i) Frame, amend and repeal the Statute/Regulations in the manner prescribed under this Act;
- (ii) Review and consider the financial requirements and estimates for the University and approve its budget ;
- (iii) Approve the recommendation for appointment of officers, teachers and other staff of the University ;
- (iv) to accept or transfer any property on behalf of the University.
- (v) to administer funds placed at the disposal of the University for the purpose intended;
- (vi) to arrange for the investment and withdrawal of the funds of the University;
- (vii) to accept on behalf of the University trusts, bequests and donations;
- (viii) to consider and approve the recommendations of the Academic Council where required;
- (ix) to direct the form and use of the common seal of the University;
- (x) to appoint such committees and bodies as it may deem necessary and set down the terms of reference thereof in accordance with the provisions of this Act and the Statutes;
- (xi) to consider and approve establishment, amalgamation and abolition of Colleges, Department, Centre or Research Station/sub-station on the

recommendation of Academic Council. New college / faculty shall be established only after prior approval of the State Government.

- (xii) to create teaching, research and extension education posts with the prior approval of the State Government.

11. *The Senate* :- (1) The Senate shall consist of the following persons, namely :-

Ex- officio members

- (i) Chancellor: Chairman
- (ii) Vice-Chancellor : The Vice-Chancellor, in the absence of the Chancellor, shall preside the Senate;
- (iii) Agriculture Production Commissioner or the Agriculture Secretary in his absence;
- (iv) Principal Secretary, Food & Consumer Protection Department, Government of Bihar;
- (v) Special or Additional or Joint Secretary of the Department of Agriculture, Government of Bihar;
- (vi) Special or Additional or Joint Secretary of the Department of Animal Husbandry, Government of Bihar.
- (vii) Chief Conservator of Forest, Bihar;
- (viii) Director of Agriculture, Bihar, Patna
- (ix) Director of Animal Husbandry, Bihar;
- (x) Director of Fisheries, Bihar;
- (xi) Joint Director of Agriculture, Education, Bihar, Patna;
- (xii) Director, Research, Bihar Agricultural University ;
- (xiii) Director, Extension Education to the University;
- (xiv) All Deans of Faculties;
- (xv) All Principals of Constituent Colleges and all Director of Research Institutes;

Representative Members.

- (xvi) Seven persons to be elected by and from amongst the members of the Bihar Legislative Assembly in such manner as may be prescribed by the Speaker of the Assembly;
- (xvii) Two persons to be elected by and from amongst the members of the Bihar Legislative Council in such manner as may be prescribed by the Chairman of the Council;
- (xviii) Six Teachers, other than Principals and Deans of faculties having at least five years teaching experience to be nominated in the manner prescribed by Statutes so as to give representation to all the constituent colleges of the University;
- (xix) Two persons one each to be nominated by the Bihar Fruit & Vegetable Development Corporation and COMFED;
- (xx) One representative of the employees of the University (other than teacher) to be elected in the manner prescribed;
- (xxi) Two farmers to be nominated by the State Government;
- (xxii) Two eminent Agricultural Scientists to be nominated by the Chancellor;
- (xxiii) One meritorious student to be nominated by the Vice-Chancellor in the manner prescribed by the statutes;

(2) The term of the office of members of the senate, other than ex-officio members shall be for a period of two years with effect from the date of their respective elections or nominations, as the case may be and shall include any further period which

may elapse between the expiration of the said period of two years and the date of the next succeeding election or nomination, as the case may be not being an election or nomination to fill up a casual vacancy.

Provided that a member elected or appointed as a representative of a body shall be deemed to have vacated office with effect from the date on which he ceased to be a members of the said body which elected or appointed him.

(3) The Senate shall, on dates to be fixed by the Vice-Chancellor, meet twice in every year and these meetings shall be called the ordinary meetings of the Senate, one of which shall be declared by the Statutes to be the annual meeting of the Senate.

(4) The Vice-Chancellor may whenever he thinks fit and shall upon a requisition in writing signed by not less than one third of the total number of members of the senate convene a special meeting of the Senate.

12. *The power and duties of the Senate:* - Subject to the provisions of this Act, the Senate shall have the following powers and functions:-

- (i) To review the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the improvement and development of the University;
- (ii) To consider and pass resolution on the annual report, annual account, financial estimates and audit reports on such accounts of the University; and
- (iii) To advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice.

13. *Academic Council*—(1) Academic Council shall consist of the following members-

- (i) The Vice-Chancellor - Chairperson
- (ii) The Directors
- (iii) All Deans of the Faculty/Deans
- (iv) All Chairman, Post-Graduate Departments
- (v) Two Heads of the College Department from each faculty nominated by the Vice-Chancellor on rotational basis
- (vi) One teacher of the Professor rank from each faculty to be nominated by the Vice-Chancellor on rotational basis.
- (vii) One eminent agriculture educationist from outside the University to be nominated by the Vice-Chancellor.
- (viii) Registrar – Member Secretary.

Comptroller and University Librarian shall be the non-member invitees.

(2) Academic Council may co-opt as members not more than two persons for such period and in such manner as may be prescribed so as to secure adequate representation of different sectors of agriculture and allied fields.

(3) All members of the Academic Council other than the ex-officio members and members referred in sub-section (2) shall hold office for a term of two years.

(4) One third of the members of the Academic Council shall form quorum at a meeting of the Council. Provided that if a meeting of the Council is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting for the transaction of the same business.

(5) Normally the Academic Council shall meet once in each semester on such dates as may be fixed by the Vice-Chancellor. However, special meetings of the Academic Council can be called by the Vice-Chancellor.

14. *Powers and Functions of the Academic Council*—(1) The Academic Council shall, subject to provisions of this Act and the Statutes, have the power by regulations of prescribing all courses of study and determining curricula, and shall have control on

teaching and other educational programmes within the University, and shall be responsible for the maintenance of standards thereof.

(2) It shall have power to make regulations consistent with this Act and the Statutes relating to all academic matters subject to its control and to amend or repeal such regulations.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Academic Council shall have power:-

- (i) To advise the Board and Vice-Chancellor on all academic matters.
- (ii) To make recommendation regarding teaching, research and extension education.
- (iii) To make recommendations for the institution of Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and other teaching posts including posts in research and extension education and in regard to the duties thereof.
- (iv) To make recommendations for adjunct professorship.
- (v) To make recommendations for the establishment/amalgamation/abolition of Faculty College, Department of teaching, research and extension education.
- (vi) To make regulations regarding the admission of students to the university, and determine the number of students to be admitted.
- (vii) To make regulations relating to the courses of study leading to degrees, diplomas and certificates.
- (viii) To make regulations relating to the conduct of examinations and to maintain and improve standards of education.
- (ix) To make recommendations to the Board regarding conferment of honorary degree.
- (x) To make recommendations regarding the qualifications to be prescribed for teachers in the University.
- (xi) To exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed on it under the provisions of this Act, by the Board or Vice-Chancellor.

15. *Faculties and Board of Studies*—(1) A University shall have such faculties as may be prescribed.

(2) Each Faculty shall comprise of such department of study as may be prescribed by the Statutes.

(3) Each faculty shall consist of such members and shall have such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

(4) Each faculty shall have Board of Studies consisting of the following members:

- (i) Dean of Faculty/Dean - Chairperson
- (ii) Deans of the constituent colleges of the faculty
- (iii) All Chairman/Head of the Departments of the concerned faculty
- (iv) One elder faculty member from each Department nominated by the Dean of Faculty
- (v) A senior Head of the Department – Member Secretary

(5) The functions of each faculty shall be as follows:

- (i) To review teaching programme and suggest improvement thereof.
- (ii) To consider the recommendations of the Committee of Courses and Curricula or similar body of department/faculty and submit to the Academic Council for approval.

(iii) To perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council or Vice-Chancellor.

(6) Each post-graduate department of a University shall have a chairman and each college department shall have a Head whose appointment, powers and duties shall be prescribed by the Statutes

16. *Provisions in relation to Membership of Authorities*—(1) Save as otherwise provided in this Act, if any member other than ex-officio member of any authority or body of the University, is unable by reason of his death, resignation, removal or otherwise to complete his full term of office, the vacancy so caused shall as soon as convenient, be filled by the appointment, nomination or co-option, as the case may be and the person so appointed, nominated or co-opted shall fill such vacancy for the unexpired portion of the term for which the member in whose place such person is appointed, nominated or co-opted would otherwise have continued in office.

(2) The Board may remove any person from membership of any authority or body of the University on the ground that such person has been convicted of any offence involving moral turpitude or conduct not befitting the office held by the concerned member with the approval of the Chancellor, except that prior approval of the Chancellor shall not be necessary where such a person has been convicted by a competent Court of law.

Provided that no such order shall be made against any person without giving reasonable opportunity of being heard.

(3) A person who is a Member of any authority or body of the University as a representative of another body whether of the University or not, shall cease to be a member of such authority or body if before the expiry of the term of his membership he ceases to be a member of that other body by which he was appointed or nominated.

(4) Whenever any person becomes a Member of any authority or body of the University by virtue of the office held by him, he shall forthwith cease to be a member of such authority or body if he/she ceases to hold such office before the expiry of the term of his membership;

Provided that he shall not be deemed to have ceased to hold his office merely by reason of his proceeding on leave for a period not exceeding four months.

(5) Any member, other than an ex-officio member of any authority or body of a University may resign his office by letter addressed to the Vice-Chancellor and such resignation, upon acceptance, shall take effect from the date on which the same is submitted.

17. *Validity and Protection of Act*—(1) The university shall adhere to the acts and laws of the union and the state.

(2) No act or proceeding of any authority or body of a University shall be invalid by reason of the existence of any vacancy among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found to have been not entitled to do so.

(3) Save as otherwise provided in this Act, all the acts done or orders made in good faith by the University or any of its authorities shall be final and no suit shall be instituted against or damages claimed from the University or its authority for anything done or purported to have been done in pursuance of this Act or the Statutes or the Regulations.

(4) No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or other employee of the University in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any Statutes made there under.

CHAPTER IV
OFFICERS OF THE UNIVERSITY

18. *Officers*—The following shall be the officers of a University namely-

- (i) The Chancellor;
- (ii) The Vice-Chancellor;
- (iii) The Directors;
- (iv) The Deans;
- (v) The Registrar;
- (vi) The Comptroller;
- (vii) Such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be the Officers of the University.

19. *The Chancellor*—(1) The Governor of the State of Bihar shall by virtue of his office be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University and shall when present, preside at the Convocation of that University.

(3) Every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(4) The Chancellor may

- (i) call for any paper for information relating to the affairs of the University; and
- (ii) for reasons to be recorded, refer any matter except a matter falling under Section 42 for reconsideration to any officer or authority of the University that has previously considered such matter.

(5) The Chancellor may by an order in writing annul any order or proceeding of the officer or authority of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Regulation;

Provided that before making any such order he shall call upon the officer or authority concerned to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the time specified in this behalf, he shall consider the same.

(6) The Chancellor shall exercise such powers and perform such other duties as are conferred on him by this Act or the Statutes.

(7) The Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons, as he may direct, of the University including its building, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments and any institution, college or hostel maintained or administered by the University or the teaching and other work conducted by the University or in its auspices; and of the conduct of any other functionary of the University; and to cause any enquiry to be made in respect of any matter connected with administration and finances of the University.

(8) The Chancellor shall communicate to the University the view of the State Government with reference to the result of such inspection or enquiry and after ascertaining the opinion thereon of the University, advise the University, upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

20. *The Vice-Chancellor*—(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University and he shall be appointed by the Chancellor from a panel of names recommended by the State Government. The State Government shall prepare a panel on the basis of the recommendations of the Search Committee. The Search Committee shall consist of the following Members:-

- (i) One nominee of Director General, ICAR
- (ii) One nominee of the State Government

(iii) One nominee of the Chancellor

Provided that one of these Members shall be nominated by the State Government to act as Convener; Nominee of the Government and the Chancellor shall be in the rank of Vice Chancellor or equivalent. The first Vice Chancellor of the University shall, however, be appointed by the State Government from eminent agricultural scientists.

(2) A person who has attained academic excellence and demonstrated leadership qualities in research, education and extension shall be eligible for candidature to the post of Vice Chancellor.

(3) Notice of Search Committee shall be widely publicized and go to all agricultural universities/institutes. The Search Committee will select and suggest a panel of the three names.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) above the second and subsequent Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on terms and conditions as he may determine.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier. In case of vacancy of first Vice Chancellor created before five years the state government shall appoint the Vice Chancellor for remaining period of five years.

(6) The Vice-Chancellor may relinquish his office by resignation in writing under his hand addressed to the Chancellor which shall be delivered to the Chancellor normally 60 days prior to the date on which the Vice-Chancellor wishes to be relieved from his office, but the Chancellor may relieve him earlier.

(7) In the event of a temporary vacancy of the post of Vice-Chancellor or his absence on leave or for any other reason, senior most Director/Dean of Faculty of the University, with the approval of the Chancellor, may perform the duties of the Vice-Chancellor but his period shall not exceed six months.

(8) The Vice-Chancellor shall not be removed from his office except by order of the Chancellor passed on the ground of mis-behaviour or incapacity or if it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the University, after due inquiry by such person nominated by the Chancellor in which the Vice-Chancellor, shall have an opportunity of making his representation.

21. *Powers and Duties of the Vice-Chancellor*—(1) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive Officer of the University and exofficio Chairman of the Board, Academic Council and other authorities and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the Convocation of the University and confer degrees on persons entitled to receive them.

(2) The Vice-Chancellor shall exercise overall control over the affairs of the University and shall be responsible for due maintenance of discipline in the University.

(3) The Vice-Chancellor shall convene meetings of the Board of Management and Academic Council.

(4) The Vice-Chancellor shall ensure faithful observance of the provisions of this Act and Statutes and Regulations and he shall exercise such powers as may be necessary in this behalf.

(5) The Vice-Chancellor shall be responsible for the presentation of the annual financial estimates and the annual accounts to the Board of Management.

(6) The Vice-Chancellor may take any action in any emergency which in his opinion calls for immediate action. He shall in such case and as soon as may be thereafter report his action to the authorities who would ordinarily have dealt with the matter. If the

authority disagrees with the action of the Vice-Chancellor the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(7) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-sections (6) affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Board within thirty days from the date on which such person has been served a notice of the action taken.

(8) If the Vice-Chancellor is satisfied that a decision of the Board is not in the best interest of the University, he shall refer it to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(9) Subject to the provisions of the preceding sub-sections, the Vice Chancellor shall give effect to the decisions of the Board regarding the appointments, promotions and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.

(10) The Vice-Chancellor shall be responsible for the proper administration of the affairs of the University and for a close co-ordination and integration of teaching, research and extension.

(11) The Vice-Chancellor may appoint under intimation to the Board of Management, any suitable person temporarily for a period not exceeding six months in a vacancy of an officer of a University referred to in clause (iii) to (vii) of Section-18.

(12) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as are conferred or imposed upon him under the provisions of this Act and the Statutes.

(13) The Vice-Chancellor, for a period of six months from the date of first enforcement of this Act may have the following extra powers:

- (i) Subject to the approval of the Chancellor, to make the statutes under this Act to provide functioning of the University;
Provided, the Vice-Chancellor may adopt *mutatis mutandis* the Statutes existing before the commencement of this Act in the University;
- (ii) With the prior approval of the Chancellor, to constitute provisional authorities and bodies and on their recommendation make rules for the conduct of the work of the University;
- (iii) Subject to the control of the Chancellor to make such financial arrangement and incur such expenditure as may be necessary to enable this Act or any part thereof to be brought into operation;
- (iv) With the prior approval of the State Government, to make such appointments as may be necessary to enable this Act or any part thereof to be brought into operation;
- (v) With the prior approval of the Chancellor to appoint committees that he thinks fit to discharge such of the functions as he may direct,
- (vi) To exercise all or any of the powers conferred on the Board of Management by this Act or the Statutes.

22. *Other Officers of the University.*—General Terms and Conditions: The officers of the University referred to in clause (iii) to (vii) of section-18 shall be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the concerned authority of the University on such terms and conditions as may be prescribed shall be the whole time Officer of the University. The salary and allowances and other conditions of service of such an officer shall be as prescribed by the Statutes.

23. *Directors, Deans, Registrar, Comptroller etc.*—(1) Director of Resident Instruction-*cum*-Dean (PGS) shall be responsible for inter-faculty and inter-departmental co-ordination of under graduate and post-graduate resident instructions

(2) Director of Research shall be responsible for the direction and co-ordination of research programmes in the University.

(3) Director of Extension Education shall be responsible for direction and co-ordination of agricultural extension programme.

The duties and responsibilities of other Directors shall be as prescribed by the Statutes.

(4) Dean of the Faculty/Deans: The Dean shall be the Chairman of the Faculty and its Board of Studies and shall be responsible to the Vice-Chancellor for the organization of the teaching programme of the Faculty.

(5) Registrar:—

(a) shall be Ex-officio Secretary of the Board of Management and Academic Council and permanent invitee of all councils.

(b) shall be responsible for the due custody of records and common seal of the university.

(c) shall be responsible for establishment matters and general administration in the university as prescribed.

(d) shall be responsible for admissions of Under Graduate (UG) and Post Graduate (PG) and conduct and management of examinations at UG and PG, maintenance of permanent records of the students at the university including the courses taken, credits obtained, degrees, prizes or other distinctions and other items pertaining to academic performance and discipline of the students.

(6) Comptroller:

(a) shall be responsible for preparation of the budget, the statement of accounts, management of the funds and investments of the University.

(b) shall be responsible for ensuring that expenditure is made as authorized.

(c) shall arrange periodical internal inspection of the accounts maintained in various units of University.

(d) shall be responsible for the maintenance of the accounts of the University in the form and manner as approved by the Board and keep constant watch on the state of cash and bank balance and on the state of investment.

(e) shall see that the asset registers are maintained up-to date and that the regular stock checking is conducted.

(7) Subject to the provisions of this Act, the Officers of the University referred to in clauses (iii) to (vii) of section-18 shall perform such other duties as may be prescribed or as may be assigned to them from time to time, by the Vice-Chancellor.

CHAPTER-V

SERVICE CONDITION OF TEACHERS AND STAFF

24. *Appointment, selection and fixation of pay and allowances.*—(1) Subject to the provision of this Act, procedure for appointment, promotion, selection, fixation of pay and allowance, and other service conditions of teachers and members of the staff of the University shall be as prescribed in the Statutes.

(2) Notwithstanding anything contained in the Act no University or any colleges or its institutions shall create any teaching or non-teaching post involving financial liability, nor shall increase the pay and allowances of its staff without prior sanction of the State Government.

CHAPTER VI

EDUCATION, RESEARCH AND EXTENSION EDUCATION

25. *Education*—(1) Subject to provisions of this Act, Education in the University shall include Bachelor's, Master's and Doctoral degree programmes and short-term diploma / certificate courses etc. in the disciplines of Agriculture and allied sciences as prescribed.

(2) The Educational programmes would maintain congruence with the State and National policies.

(3) The University shall put in place initiatives for e-learning, distributed / distance education, ICT-enabled knowledge sharing etc.

(4) Programmes of Agricultural Education should aim at producing competent and skilled graduates and post-graduates.

26. *Research*—(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the University shall carry on strategic, basic and applied research in agriculture and allied discipline.

(2) The University through its research organization shall be the principal agency of control over research activities in Agriculture, Animal Husbandry and other allied branches in its jurisdiction.

(3) The University with the concurrence of Government may establish Regional/Zonal Research Stations and Sub-Stations in different agro-climatic zones in its territorial jurisdiction for the conduct of research including operational research.

27. *Extension Education*—(1) Extension Education programmes shall be established in the University and shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, ensure technology assessment and refinement and facilitate dissemination of technology based on research findings to farmers and others for accelerated agricultural growth. It shall conduct demonstrations and training programmes for the benefit of various stakeholders. Extension Education programmes shall be coordinated with various units of the University and other appropriate agencies of the Centre and the State.

(2) The University shall be responsible for developing models of Agricultural Extension in the State.

(3) University shall aid and assist State Government Officers/ Extension Officers & farmers of its jurisdiction to impact training pertaining the agricultural innovations.

28. *Integration of teaching, research and extension education*.—(1) In consultation with the appropriate officers of the University, the Vice-Chancellor shall be responsible for taking such steps as may be necessary for the full integration of teaching, research and extension education activities of the University.

(2) Every faculty member borne on teaching cadre shall devote some time (not exceeding 30% and as decided by the Vice Chancellor in consultation with the appropriate officers of the University) in an academic year for undertaking research and/or extension activities besides teaching. Likewise a faculty member borne on research or extension shall spend some time in teaching.

(3) All teaching, research and extension education staff located in the college/faculty shall be under the administrative control of Dean of the Faculty/Dean of the College/Faculty and overall technical control of Director (Research) and Director (Extension Education) as the case may be.

(4) The University shall develop its programme of research and extension education keeping in view the regional needs of the State and provide the appropriate technological backstopping, to the Government and other stakeholders.

CHAPTER VII
FUNDS AND ACCOUNTS

29. *The University Funds.*—(1) The University shall have a General Fund to which shall be credited:-

- (i) Its income from fees, endowments and grants and income from properties of the University including hostel, experimental stations and farms;
- (ii) Contribution and grants made by the Government on such conditions as are consistent with the provision of this Act;
- (iii) Other contributions, grants, donations, beneficinations and loans and other receipts.

(2) The University shall form a fund called the Foundation Fund from contributions and grants made by the Central Government or the State Government or approved agency for being credited to that fund and such other sums as may be specified by the Board, shall be credited to this fund. The Board may as and when necessary retransfer such amount as may be specified, from the Foundation Fund to the General Fund, in manner prescribed.

(3) The University shall furnish statements of accounts, reports and other particulars to the Government relating to any grant made by the Government and shall take such action and furnish such statements, accounts, reports and other particulars relating to the utilization of any grant within such time and manner as the Government may direct.

(4) It shall be competent for the University in furtherance of its objectives to accept the grants from the Government or any other State Government or the Central Government or Statutory Bodies or endowments or donations under such conditions as may be agreed upon between the University and the granter or donor.

30. *Management of Funds*—The General Fund, Foundation Fund and other funds of the University shall be managed according to the provisions laid down by the Statutes.

31. *Accounts and Audit*—The Annual Statement of accounts of the University shall be prepared by the Comptroller and certified by an authority to be nominated or authorized by the Board. The Statement shall include all the money accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed and paid by the University. Such statement shall be submitted to the Government by the Board normally within six months after close of the financial year to which these pertain.

32. *Provident Fund, Pension and Insurance*—(1) The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers, ministerial staff and other employees, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, such as pension, gratuity, insurance, provident fund, contributory pension fund as approved by the State Government.

(2) For such pension, gratuity, insurance and provident fund so constituted by the University, the State Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act shall apply to such funds as if it were Government provident Fund.

Provided that the University shall have power in consultation with the Finance Committee and the Board to invest Provident Fund amount in such manner as it may determine.

33. *Government Grants*—The Government shall every year make the following lump sum grants to the University, namely:-

- (i) A grant not less than the estimated expenditure of pay and allowances of the staff contingencies, supplies and services of the University for proper functioning of University;

- (ii) A grant to meet such additional items of expenditure, recurring and non-recurring as the State Government deem necessary.

34. *Finance Committee*—(1) The Board shall constitute a Finance Committee consisting of:-

- (i) The Vice-Chancellor - Chairperson
 - (ii) Principal Secretary/ Secretary ,Finance to the State Government or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
 - (iii) Principal Secretary / Secretary,Agriculture to the Government or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
 - (iv) One Director/Dean from amongst the Board Members to be nominated by the Vice-Chancellor;
 - (v) One nominee of the Board;
 - (vii) Comptroller - Member Secretary
- (2) Finance Committee shall have the following functions:-
- (i) To examine the annual accounts and budget estimates of the University and to advise the Board thereon;
 - (ii) To review the financial position of the University from time-to-time;
 - (iii) To make recommendations to the Board on all matters relating to the finances of the University.
 - (iv) To make recommendation to the Board on all proposals involving expenditure in excess of the amount provided in the budget.

CHAPTER VIII

STATUTES AND REGULATIONS

35. *Statutes*—Subject to the provisions of this Act, the Statutes, the University may provide for any matter connected with the affairs of the University and shall, in particular, provide for the following, namely:-

- (1) Constitution, powers and duties of the Authorities;
- (2) Creation, composition and functions of the other Bodies or Committees necessary or desirable for improving the academic life of the University;
- (3) Designations, powers, functions, duties, manner of appointment and selections, and terms and conditions of service of the officers other than Chancellor and Vice-Chancellor;
- (4) Classification, qualification and manner of appointment, terms and conditions of services and duties of teachers and non-teaching staff of the University;
- (5) Terms and conditions of service of the Vice-Chancellor;
- (6) Establishment, amalgamation, sub-division or abolition of faculties, Departments/ Research Stations/Centres or other units of the University;
- (7) Establishment of pension and insurance schemes for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and rules, terms and conditions of such schemes;
- (8) Holding of Convocation to confer degrees and diplomas;
- (9) Conferment and withdrawal of honorary degrees and academic distinctions;
- (10) Conditions of service, remunerations and allowances including traveling and daily allowances to be paid to officers, teachers and other persons employed under the University;
- (11) Conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies and examiners;

- (12) Management of Colleges/Centres/Divisions/Departments/Regional Stations/other KVKs/ institutions founded or maintained by the University
- (13) Constitution of Selection Committee for appointment of teachers and other staff;
- (14) Designation, manner of appointment, powers and duties of officers
- (15) All other matters which this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

36. *Statutes how made*—(1) Statutes under this Act shall be proposed by the Board and submitted to the Chancellor for his assent and shall be valid only after the assent is received and notified by the Vice-Chancellor. However statutes in respect of section 35 (7) and (10) will require prior approval of the State Government.

(2) Any Statute may be amended or repealed by the Board with the assent of the Chancellor;

(3) All Statutes made under this Act shall be published in the official gazette;

37. *Regulations*—(1) The authorities of a University may make regulations consistent with this Act and the statutes for:-

- (i) Laying down the procedure for their meetings and number of members required to form the quorum.
- (ii) Providing for matters which by this Act and the Statutes are to be regulated by Regulations;
- (iii) Providing for any other matter solely concerning the authority and not provided for by this Act and the Statutes

(2) The Academic Council may subject to the provisions of Act and the Statutes, make regulations providing for courses of studies, system of examination, academic calendar, award of degrees and diplomas of the University and other matters related to Resident Instruction.

(3) The regulations made by any authority of the University shall be subject to such directions as the Board may from time to time give in this behalf.

(4) Academic Council of the University may make regulations for-

- (i) The holding of Convocations to confer degrees and diplomas;
- (ii) The conferment of honorary degrees, academic distinctions and withdrawal of degrees.
- (iii) The establishment and abolition of hostels maintained by the University;
- (iv) The institution of fellowships, scholarships, stipends, bursaries, medals and prizes and the conditions of award thereof;
- (v) The entrance or admission of the students to the University and their enrollment and continuance as such and the conditions and procedures for dropping students from enrollment;
- (vi) The fees which may be charged by the University;
- (vii) The course of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;
- (viii) The conditions under which students shall be admitted to the degrees, diplomas, or other courses and examinations of the University and their eligibility for the award of degrees and diplomas;
- (ix) The conditions for conferment of degrees and other academic distinctions.
- (x) The maintenance of discipline among the students of the University
- (xi) The special arrangements, if any, which may be made for residence, discipline and teaching of women students and the provision of special courses of study for women.

- (xii) The conditions of residence of students of the University and the levy of fees for residence in hostels.

CHAPTER IX MISCELLANEOUS

38. *Residence of students*—The students shall reside in the accommodation hostels provided as per rules.

39. *Annual Report*—The annual report of a University shall be prepared by the Registrar or any other officer, assigned under the direction of the Vice-Chancellor normally within six months from the close of the Financial Year and circulated to the Members of the Board before the meeting at which it is to be considered. The Board shall after consideration of the annual report forward a copy thereof to the Government.

40. *Delegation of powers*—The B.O.M. may, by statutes, delegate the powers exercisable under this Act or the Statutes made there under, to any authority, officer, heads of colleges/departments/ institutions or units/office subject to such conditions and restrictions as the B.O.M. may deem proper.

41. *Constitution of ad-hoc committees*—Notwithstanding anything in this Act and until such time as the authorities are duly constituted, the Vice-Chancellor may subject to the approval of the Board, after it has been constituted appoint committees temporarily to exercise, perform and discharge any of the powers, functions and duties of such authority under this Act.

42. *Disputes as to institution of University Authorities and Bodies*—If any question arises as to whether any person has been duly appointed or is entitled to be a member of any authority or other body of University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final; Provided that before taking any such decision, the Chancellor shall give the person affected thereby reasonable opportunity of being heard.

43. *Legal Proceeding*—All suits and other legal proceedings by or against the University shall be instituted, prosecuted or defended on behalf of the University by the Law Officer under the Administrative control of Registrar or any other officer specifically nominated in this behalf by the Vice-Chancellor.

44. *Appointment to posts in connection with the affairs of University*—(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes made there under, appointment to posts and services in connection with the affairs of the University may be made by the Vice-Chancellor with the approval of the concerned authority as prescribed.

Provided that such approval of Board shall not be necessary in respect of appointment of posts carrying scales of pay lower than the pay scale of an Assistant Professor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act and until such time as the Statutes are made or the authorities of the University are constituted, appointments to posts and services in connection with the affairs of the University may be made by the Vice-Chancellor on such terms and conditions as may be approved by the Chancellor.

45. *Transitional Provisions*—(1) Notwithstanding anything contained in this Act or in the other universities Act in the State or in the Statutes or regulations made under any of these enactments any student who immediately before the commencement of this Act was studying in a college which has been or may hereafter be admitted to the privileges of a University for degree, diploma or certificate of the (other) Universities, in accordance with the regulations of the University be permitted:-

- (a) to complete his course in accordance with the curriculum of studies of (other university in state) University;

- (b) to be examined by the University and if on the results of such examination he qualifies, be entitled to be conferred a corresponding degree or diploma or certificate of the University;
- (c) to appear at the examination within two years of the normal period required for completing the said course of studies.

(2) In the year of the establishment of the University, University examinations of all courses in different faculties and disciplines shall be conducted by other universities in the State as the case may be, and in subsequent years, the examination shall be conducted by the University.

46. *Provisions regarding existing colleges and institutions:*—(1) The Colleges and the Research Institutes indicated in schedule-1 shall be maintained, controlled and managed by the University.

(2) All the properties, assets, liabilities and obligations in respect to institution indicated in Schedule I shall stand transferred to and vest in or devolve upon the University.

(3) Notwithstanding anything contained in (other Universities in the state) Universities Act, or in Statutes or Regulations made thereunder, College of Agriculture/Veterinary and other colleges in allied fields (as approved by Government) shall after the commencement of this Act, be dis-affiliated from other University in the state and shall be maintained by the University as constituent College.

(4) All employees of any College, Research Institute or other officers & Institutions mentioned in Schedule I shall be the employee of the University and shall cease to be the employee of Rajendra Agriculture University.

Provided that they shall give written notice to the Rajendra Agricultural University within one year of publication of Notification of the Act in the Bihar Gazette. They may be permitted to be retained in the service of and to be posed on equivalent post within the jurisdiction of the Rajendra Agricultural University. Likewise the employees of Rajendra Agricultural University, if they so desire, may give written notice to the State Government for their absorption in the Bihar Agricultural University, Sabour. The State Government will intimate its decision to the University.

47. *Removal of difficulties*—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order do anything which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty.

(2) No order made under sub-section (1) shall be questioned in any Court of law on the ground that no difficulty, as is referred to in the said sub-section, existed to be removed.

(3) Every order published, under this section shall as soon as may be after its publication laid before both Houses of the State Legislature.

48. *Repeal and Saving:* (1) The Bihar Agricultural University Act, 1987 (Bihar Act 8, 1988) is deemed to be modified in terms of this Act in respect of institutions enumerated in Schedule-I.

(2) Notwithstanding such amendment, anything done or any action taken in exercise of the powers conferred by or under the said Act and so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, shall be deemed to have been done or taken in the exercise of powers conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

Schedule-I

I. Educational Institutes—

1. Bihar Agricultural College, Sabour, Bhagalpur

2. Mandan Bharti Agriculture College, Agwanpur, Saharsa
3. Bihar Veterinary College, Patna
4. Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology, Patna
5. College of Horticulture, Noorsarai, Nalanda

II. Research Institutes/Stations/Sub Stations

1. Regional Research Station, Agwanpur, Saharsa
2. Regional Research Sub Station, Jalalgarh, Purnea
3. Jute Research Station, Katihar
4. Irrigation Research Station, Madhepura
5. Irrigation Research Sub Station, Araria
6. Regional Research Sub Station, Munger
7. Fine Rice Research Sub Station, Tilondha, Bhagalpur
8. Irrigation Research Station, Bikramganj, Rohtas
9. Botanical Research Sub Station, Dhangain, Rohtas
10. Agricultural Research Institute, Patna
11. Pulse Research Centre, Mokama, Patna
12. Betelvine Research Station, Islampur, Nalanda

III. Krishi Vigyan Kendras

1. Krishi Vigyan Kendra, Munger
2. Krishi Vigyan Kendra, Ariari, Sheikhpura
3. Krishi Vigyan Kendra, Agwanpur, Saharsa
4. Krishi Vigyan Kendra, Jalalgarh, Purnea
5. Krishi Vigyan Kendra, Katihar
6. Krishi Vigyan Kendra, Madhepura
7. Krishi Vigyan Kendra, Sabour, Bhagalpur
8. Krishi Vigyan Kendra, Araria
9. Krishi Vigyan Kendra, Banka
10. Krishi Vigyan Kendra, Lakhisarai
11. Krishi Vigyan Kendra, Supaul
12. Krishi Vigyan Kendra, Kisanganj
13. Krishi Vigyan Kendra, Barh, Patna
14. Krishi Vigyan Kendra, Harnaut, Nalanda
15. Krishi Vigyan Kendra, Bikramganj, Rohtas
16. Krishi Vigyan Kendra, Jehanabad
17. Krishi Vigyan Kendra, Aurangabad
18. Krishi Vigyan Kendra, Gaya
19. Krishi Vigyan Kendra, Arwal

By order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 271-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>